सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

खण्ड-I

2020-2021

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार

वित्त लेखे

खण्ड-I

2020-21

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार

<u>व्याख्यात्मक ज्ञापन</u>

31 मार्च 2021 तक के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखे संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को प्रेषित किये जा रहे हैं।

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप तथा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, ये लेखे आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के उप राज्यपाल को भी प्रेषित किये जा रहे हैं।

विषय सूची

		पृष्ठ
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	**(v-vii)**
	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	**(ix-xvi)**
	खण्ड-I	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
2	प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण	4-6
	अनुलग्नक क- रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	7-9
3	प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)	10-13
4	व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-	
	(क) कार्यकलाप के अनुसार व्यय	14-17
	(ख) प्रकृति के अनुसार व्यय....	18-19
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	20-32
6	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण	33-38
7	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण	39-46
8	सरकार के निवेशों का विवरण	47
9	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण	48
10	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण	49
11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	50-51
12	वर्ष 2020-21 (31 मार्च 2021 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण	52-58
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश	59-61
	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	62-94

विषय सूची (जारी)

खण्ड-II

		पृष्ठ
	भाग-I	
14	लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	96-124
15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	125-178
16	लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	179-262
17	उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण	263-278
18	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण	279-306
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	307-332
20	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण....	333-339
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण	340-358
22	चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण	359-362
	भाग-II	
	परिशिष्ट-	
I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	364-370
II	सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय	371-372
III	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान (संस्थान-वार और योजना-वार)	373-376
IV	बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण	377-378
V	योजनाओं पर व्यय-	
	क. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाए और केन्द्रीय योजनाएं)	379-382
	ख. संघ शासित क्षेत्र योजनाएं....	383-386

विषय सूची (समाप्त)

	भाग-II	**पृष्ठ**
	परिशिष्ट- (समाप्त)	
VI	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)	387-389
VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है)	390-391
VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	392-393
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूँजीगत कार्यों की सूची	394-404
X	वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय	405-411
XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं	412
XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	413-414
XIII	संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मदें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है	415-419

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त लेखे को समाहित करने वाला यह संकलन वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखाओं के साथ-साथ वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है, खण्ड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खण्ड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र सरकार के विनियोग लेखाओं को एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

वित्त लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 71 के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा/ अथवा विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये वाउचरों, चालानों तथा प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरण (सं. 7, 8, 9, 19 तथा 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (विवरण सं. 5, 6 तथा विवरण सं. 2 का अनुलग्नक) तथा परिशिष्ट (IV, V, VI, VIII, IX, XI और XII) को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निगमों/ कंपनियों/ सोसाइटियों/ सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं, से प्राप्त सूचना से सीधे ही तैयार किया गया है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/ अथवा विभाग मुख्यत: प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित अनुप्रयोज्य विधियों, मानकों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने हेतु मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 72 की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अपना मत

व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग प्रणालियों एवं प्रबंधन सरंचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

लेखापरीक्षा सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संचालित की गयी थी। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम यह यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे महत्त्वपूर्ण गलत विवरण से रहित हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं की टिप्पणियों' के साथ पठित वर्ष 2020-21 हेतु वित्त लेखे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही और स्पष्ट स्थिति को प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ उक्त अवधि अथवा विगत वर्षों के दौरान संचालित नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय मेरे अन्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये हैं।

अति महत्त्वपूर्ण प्रकरण

मैं अति महत्त्वपूर्ण प्रकरणों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो कि इन लेखाओं की सत्यता, पारदर्शिता एवं समग्रता तथा लोक वित्त पर विधान के वित्तीय नियंत्रण बनाये रखने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हैं:

1. सहायता अनुदानों से संबंधित राजस्व प्रकृति के ₹ 61.59 करोड़ के संव्यवहारों को भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस-2) का उल्लंघन करते हुए पूँजीगत व्यय के रूप में बुक किया गया था, जोकि इस प्रकार के संव्यवहारों की बुकिंग को राजस्व व्यय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, राजस्व प्रकृति के ₹ 128.22 करोड़ के अन्य व्यय को भी पूँजीगत व्यय के रूप में बुक किया गया था। इसने ₹ 189.81 करोड़ की सीमा तक राजस्व घाटे के कम आंकलन का मार्ग प्रशस्त किया।

2. 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के चौदह सरकारी विभागों ने ₹ 5,280.71 करोड़ की राशि के कुल 356 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिलों को प्रस्तुत नहीं किया था और इसलिए, यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि ₹ 5,280.71 करोड़ का व्यय वास्तविक रूप से उस उद्देश्य हेतु किया गया है, जिसके लिए यह प्राधिकृत किया गया था।

उपर्युक्त प्रकरणों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का वर्णन 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किया गया है।

दिनांकः 29 मार्च 2022 **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

स्थानः नई दिल्ली **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखाओं की संरचना का विस्तृत विहंगावलोकन

1. संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर के वित्त लेखे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखाओं के साथ ही राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं द्वारा प्रकट किये गये वित्तीय परिणामों, लोक ऋण के लेखाओं और लेखाओं में दर्ज शेषों से पूर्वाकलित संघ शासित क्षेत्र सरकार की देयताओं एवं परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

2. संघ शासित क्षेत्र सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग I: समेकित निधि: यह निधि संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा लिये गये सभी लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिमों (बाजार ऋण, बंधपत्र, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, इत्यादि) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्राप्त की गयी सभी धनराशि को समाहित करती है। इस निधि से कानून एवं उद्देश्य के अनुसार तथा भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त तरीके के अतिरिक्त धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (उदाहरण के लिए संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि) संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि (प्रभारित व्यय) पर प्रभार होती है तथा विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानमण्डल द्वारा दत्तमत होते हैं।

समेकित निधि में दो अनुभाग सम्मिलित हैं: राजस्व तथा पूँजीगत (लोक ऋण, कर्जे तथा अग्रिम सहित)। इन्हें आगे 'प्राप्तियाँ' एवं "व्यय" में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन क्षेत्रकों में विभक्त किया गया है, अर्थात् "कर राजस्व", "करेतर राजस्व", तथा 'सहायता अनुदान एवं अंशदान'। ये तीनों क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में विभक्त होते हैं जैसे "आय एवं व्यय पर कर", "राजकोषीय सेवाएं", इत्यादि। पूँजीगत प्राप्तियाँ अनुभाग में कोई क्षेत्रक अथवा उप-क्षेत्रक नहीं होते हैं। राजस्व व्यय अनुभाग चार क्षेत्रकों में विभाजित होता है अर्थात् "सामान्य सेवाएं", "सामाजिक सेवाएं", "आर्थिक सेवाएं", तथा 'सहायता अनुदान एवं अंशदान'। राजस्व व्यय अनुभाग में ये क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में विभक्त हो जाते हैं जैसे "राज्य के अंग" 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' इत्यादि। पूँजीगत व्यय अनुभाग सात क्षेत्रकों में उप-विभाजित किया जाता है अर्थात् "सामान्य सेवाएं", "समाज सेवाएं", "आर्थिक सेवाएं" "लोक ऋण", "ऋण तथा अग्रिम", "अंतर्राज्यीय निपटारा" तथा "आकस्मिकता निधि को अंतरण"।

भाग II: आकस्मिकता निधि: यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल द्वारा विधि के तहत स्थापित किया जाता है तथा इसे ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल द्वारा प्राधिकरण लंबित होता है, उन्हें वहन करने के लिए अग्रिमों की पूर्ति हेतु उपराज्यपाल के निपटान पर रखा जाता है। निधि को संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे करके प्रतिपूरित किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 25.00 करोड़ है।

भाग III: लोक लेखा: सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त अन्य समस्त लोक धनराशि, जहाँ सरकार एक बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखा में जमा होती है। लोक लेखा में प्रतिदेय जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ, जमाओं (ब्याज वहन करने वाली एवं ब्याज वहन नहीं करने वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज वहन करने वाली एवं ब्याज वहन नहीं करने वाली), प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (दोनों जो अस्थायी शीर्ष हैं, अंतिम बुकिंग लम्बित है) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा में छह क्षेत्रक सम्मिलित हैं अर्थात् "अल्प बचत", 'भविष्य निधि' इत्यादि, "आरक्षित निधियाँ", "जमाएं एवं अग्रिम", "उचंत एवं विविध", "प्रेषण" तथा "रोकड़ शेष"। ये क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में विभाजित होते हैं। लोक लेखा विधानमण्डल के मत का विषय नहीं है।

3. सरकारी लेखे छह स्तरीय वर्गीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं, नामतः मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप-शीर्ष (दो वर्ण), विस्तृत शीर्ष (दो से तीन अंक) तथा वस्तु शीर्ष (दो या तीन अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों का द्योतक है, उप-मुख्य शीर्ष उप-कार्यों, लघु शीर्ष कार्यक्रम/ कार्यकलापों, उप-शीर्ष योजनाओं, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं तथा वस्तु शीर्ष व्यय के अभिप्राय/ उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग प्रतिमान शामिल है (मार्च 2017 तक संशोधित मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार):

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋणों तथा अग्रिमों सहित)
7999	आकस्मिकता निधि में विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों के साथ) लघु शीर्ष तक संव्यवहारों को दर्शाते हैं। वित्त लेखाओं में आँकड़े निवल स्तर पर दर्शाये जाते हैं, अर्थात् खर्चे की कटौती के रूप में वसूलियों के लेखांकन के पश्चात्। यह तरीका विधानमण्डल को प्रस्तुत अनुदान की मांगों तथा विनियोग लेखाओं में दर्शाने से भिन्न है, जहाँ व्यय सकल स्तर पर दिखाये जाते हैं।

6. लेखे की संरचना का सचित्र वर्णन नीचे दिया गया है:

सरकारी लेखाओं की संरचना

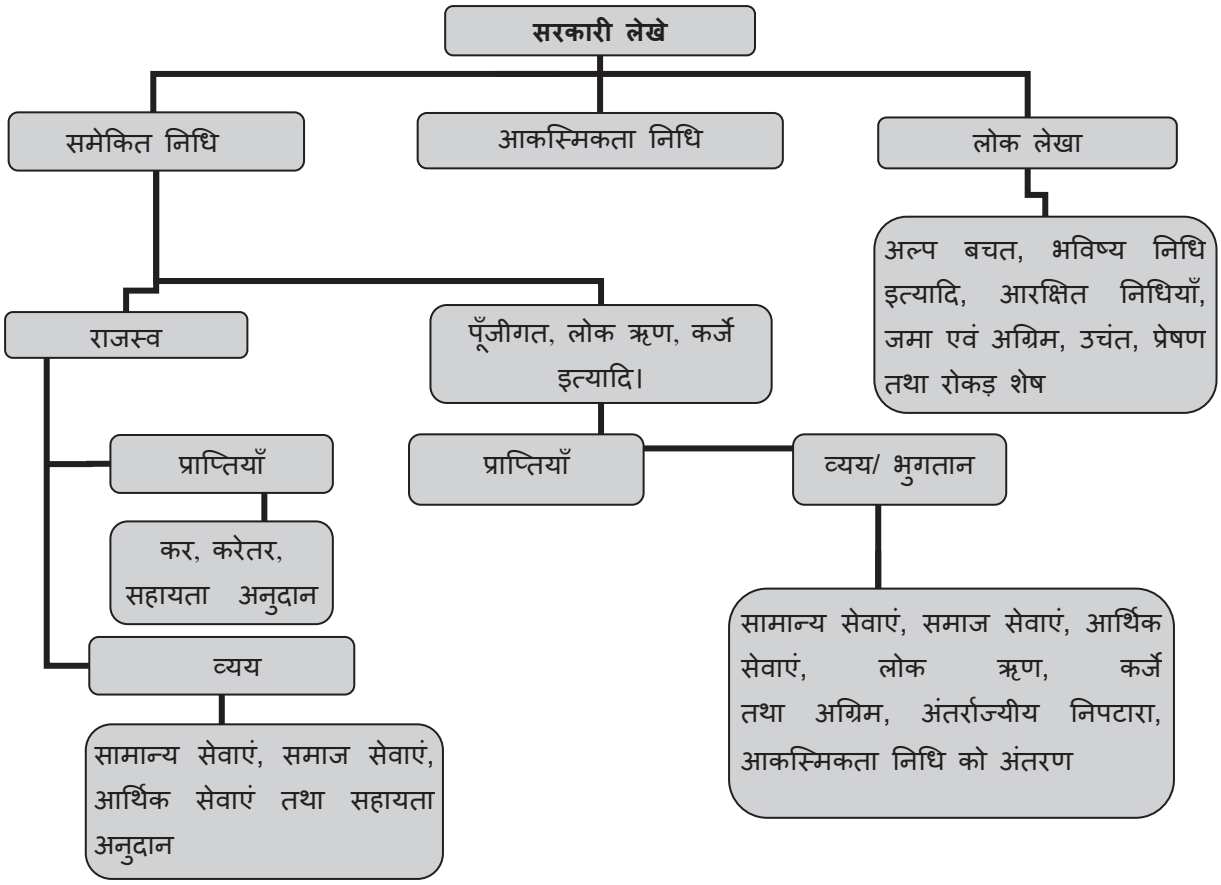

ख. वित्त लेखे में क्या शामिल है

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत होते हैं।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, तेरह विवरण जो चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संघ शासित क्षेत्र सरकार की वित्तीय स्थिति तथा संव्यवहारों की सारांशीकृत सूचना देते हैं, लेखाओं की टिप्पणियाँ तथा लेखाओं की टिप्पणियों का अनुलग्नक शामिल है। **खण्ड I** के **13** विवरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण:** यह विवरण संघ शासित क्षेत्र सरकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्ष के अंत में विद्यमान संचयी आँकड़ों तथा पिछले वर्ष के अंत की स्थिति से तुलना को दर्शाता है।

2. **प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण:** यह विवरण सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में वर्ष के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक अनुलग्नक भी शामिल है जो संघ शासित क्षेत्र सरकार के रोकड़ शेष (निवेशों को शामिल करते हुए) को अतिरिक्त रूप में दर्शाता है। अनुलग्नक संघ शासित क्षेत्र सरकार की अर्थोपाय स्थिति को भी विस्तृत रूप में दर्शाता है।
3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** यह विवरण राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों और उधार तथा संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान को सम्मिलित करता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 14, 17 तथा 18 के समतुल्य है।
4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि):** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर तक सामान्य वर्णन से हटकर यह विवरण गतिविधि की प्रकृति के अनुसार (व्यय के उद्देश्य) भी व्यय का विवरण देता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 15, 16, 17 तथा 18 के समतुल्य है।
5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण:** यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के समतुल्य है।
6. **उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण:** सरकार के उधारों में इसके द्वारा लिये गये बाजार ऋणों (आंतरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों तथा अग्रिमों को शामिल किया जाता है। 'अन्य देयताओं' में 'अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि', 'आरक्षित निधियाँ' तथा 'जमा' समाहित है। विवरण में ऋण सेवा पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है तथा खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के समतुल्य है।
7. **सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण**: यह विवरण सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ऋणी जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/ प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्त्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिये गये सभी ऋणों और अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के समतुल्य है।
8. **सरकार के निवेशों का विवरण:** यह विवरण सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूँजी में सरकार के निवेशों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के समतुल्य है।
9. **सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण:** यह विवरण सरकार द्वारा संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों का मूल तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर दी गयी प्रत्याभूतियों का सार प्रस्तुत करता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के समतुल्य है।

10. सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण: यह विवरण संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदान प्राप्तकर्त्ता जैसे, सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/ प्राधिकरणों तथा वैयक्तिक को दिये गये समस्त सहायता अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण उपलब्ध करवाता है।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण: यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों का विनियोजन लेखाओं में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ सादृश्य करने में सहायता करता है।

12. राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण: यह विवरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से चुकाने का अनुमान किया जाता है, जबकि वर्ष का पूँजीगत व्यय राजस्व अधिशेष, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरू में रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरा किया जाता है।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश: यह विवरण लेखाओं की परिशुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 14,15,16,17,18 तथा 21 के समतुल्य है।

वित्त लेखाओं के खण्ड II में दो भाग हैं- भाग I में नौ विस्तृत विवरण तथा भाग II में तेरह परिशिष्ट सम्मिलित हैं।

खण्ड II का भाग I

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण: यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 3 के समतुल्य है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण: यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 4 के समतुल्य है, संघ शासित क्षेत्र सरकार के राजस्व व्यय को योजनागत (संघ शासित क्षेत्र योजना, संघ शासित क्षेत्र योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजना योजनाएं) तथा गैर-योजना के अंतर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय पृथक रूप से प्रदर्शित किये जाते हैं।

16. पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण: यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के समतुल्य है, संघ शासित क्षेत्र सरकार के पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी) को योजनागत (संघ शासित क्षेत्र योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजना योजनाएं) तथा गैर-योजना के अंतर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय को पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। लघुशीर्ष स्तर तक पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, महत्त्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में, यह विवरण उप-शीर्ष स्तरों तक भी ब्यौरे को दर्शाता है।

17. **उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 का समतुल्य है, संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा लिये गये सभी ऋण (बाजार ऋण, बंधपत्र, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, इत्यादि) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों को शामिल करता है। यह विवरण तीन श्रेणियों में ऋण की सूचना को प्रस्तुत करता है: (क) व्यक्तिगत ऋणों के ब्यौरे; (ख) परिपक्वता विवरणिका अर्थात् विभिन्न वर्षों में प्रत्येक श्रेणी के ऋणों से संबंधित देय राशि; तथा (ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा; तथा बाजार ऋणों को दर्शाने वाला अनुलग्नक।

18. **सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के समतुल्य है।

19. **निवेशों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण अधिष्ठान वार निवेशों के ब्यौरे तथा विवरण 16 और 19 के बीच, विसंगतियों, यदि कोई हो, के मुख्य एवं लघु शीर्षवार ब्यौरे को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I में विवरण 8 के समतुल्य है।

20. **सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण सरकारी प्रत्याभूतियों के इकाई वार ब्यौरे को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I में विवरण 9 के समतुल्य है।

21. **आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण आकस्मिकता निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों का विवरण लघु शीर्ष स्तर पर दर्शाता है।

22. **चिह्नित शेषों के निवेश पर विस्तृत विवरण:** यह विवरण, आरक्षित निधियों तथा जमाओं (लोक लेखा) से निवेशों के ब्यौरे को दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग II में वेतन, सहायिकी, सहायता अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं तथा संघ शासित क्षेत्र आयोजना योजनाओं के संबंध में योजना व्यय, इत्यादि को सम्मिलित करते हुए विभिन्न मदों पर **तेरह परिशिष्ट** सम्मिलित हैं। लेखाओं में ये ब्यौरे उप-शीर्ष स्तर अथवा नीचे तक (अर्थात् लघु शीर्ष स्तर से नीचे) प्रस्तुत किये जाते हैं तथा ऐसा सामान्यत: वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया जाता है। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड-I अथवा II में विषय सूची पर दर्शायी गयी है। परिशिष्ट के साथ पठित विवरण संघ शासित क्षेत्र सरकार की वित्तीय स्थिति की संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

ग. शीघ्र गणक

नीचे दिया गया अनुभाग खण्ड I में दर्शाये गये संक्षिप्त विवरणों को खण्ड II में विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से जोड़ता है (परिशिष्ट, जिनका संक्षिप्त विवरणों के साथ सीधा संपर्क नहीं है, को नीचे नहीं दर्शाया गया है)

घ. आवधिक समायोजन तथा बही समायोजन:

मापदण्ड	संक्षिप्त विवरण (खण्ड I)	विस्तृत विवरण (खण्ड II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदान सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	- - -
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन), II (सहायिकी)
सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान	2, 10	---	III (सहायता अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम	1, 2, 7	18	- - -
ऋण की स्थिति/ उधार	1, 2, 6	17	- - -
कंपनियों, निगमों इत्यादि में सरकार के निवेश	8	19	- - -
रोकड़	1, 2, 12, 13	- - -	- - -
लोक लेखा में शेष तथा उसके निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	- - -
प्रत्याभूतियाँ	9	20	
योजनाएं	- - -	- - -	IV (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं), V (सीएसएस/ केन्द्रीय/ संघ शासित क्षेत्र योजना व्यय)

कतिपय संव्यवहार, जो लेखे में प्रकट होते हैं, में बुकिंग के समय रोकड़ का वास्तविक संचलन शामिल नहीं होता है। इस प्रकार के कुछ संव्यवहार लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाइयों (जैसे राजकोष, प्रभाग इत्यादि) द्वारा उनके स्तर पर होते हैं। उदाहरण के लिए, वेतन से सभी कटौतियों के समायोजन को शामिल करते हुए संव्यवहार (सामान्य भविष्य निधि, दिये गये अग्रिमों की वसूलियाँ इत्यादि) को कार्यात्मक मुख्य शीर्षों (संबंधित विभाग को इंगित करते हुए) के नामे करते हुए तथा राजस्व प्राप्ति/ ऋणों/ लोक लेखा को बुक समायोजन से दर्ज किया

जाता है। इसी प्रकार 'शून्य' बिल, जहाँ धनराशि समेकित निधि एवं लोक लेखा के मध्य हस्तांतरित होती है, लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाई स्तर पर बिना रोकड़ के संव्यवहार को प्रस्तुत करते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) संघ शासित क्षेत्र सरकार के लेखाओं में निम्न प्रकृति के आवधिक समायोजन एवं बही समायोजन करता है, जिनका विवरण लेखाओं पर टिप्पणियों के परिशिष्ट (खण्ड I) तथा संबंधित विवरण की पाद टिप्पणियों में दर्शाया गया है।

आवधिक समायोजन तथा बही समायोजन के उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

(1) समेकित निधि उदाहरणार्थ राज्य आपदा मोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, आरक्षित निधियाँ, ऋण शोधन निधि इत्यादि को नामे करते हुए लोक लेखा में निधियों का सृजन/ निधियों के अंशदान का समायोजन।

(2) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखा में लेखे के जमा शीर्षों को क्रेडिट करना।

(3) सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारी समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन जहाँ ब्याज मुख्य शीर्ष 2049- ब्याज को नामे करके तथा मुख्य शीर्ष 8009- राज्य भविष्य निधि तथा मुख्य शीर्ष 8011- बीमा तथा पेन्शन निधि को जमा करके समायोजित किया जाता है।

(4) भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ऋण माफी का समायोजन केन्द्रीय वित्त आयोगों की अनुशंसाओं पर आधारित था। ये समायोजन (जहाँ केन्द्रीय ऋणों मुख्य शीर्ष 0075- विविध सामान्य सेवाएं को जमा करते हुए मुख्य शीर्ष 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिम में प्रति प्रविष्टि द्वारा बट्टे खाते डाले जाते हैं) राजस्व प्राप्तियों तथा लोक ऋण दोनों शीर्षों को प्रभावित करते हैं।

ङ. **पूर्णांक:** ₹ 0.01 लाख/ करोड़ का अंतर, जहाँ कहीं हो, पूर्णांक के कारण है।

खण्ड-I

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

(**बोल्ड** में आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर यूटी द्वारा प्रतिधारित एवं प्रभाजित किये जाने हेतु 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

			(₹ करोड़ में)	
परिसंपत्तियाँ [1]	***संदर्भ***	***क्र. सं.***	**31 मार्च 2021 तक**	**31 मार्च 2020 तक**
	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	विवरण		
रोकड़			14,47.69 **(-)42.08**	14,82.28 **(-)42.08**
(i) कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में नकद		21	- **6.77**	- **6.77**
(ii) विभागीय शेष		21	- **4.97**	- **4.97**
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	- **0.12**	- **0.12**
(iv) रोकड़ शेष निवेश		21	- **383.92**	- **3,83.92**
(v) भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों में जमाएं	5(vii)	21	14,47.69 * **(-)4,48.72**	14,82.28 **(-)4,48.72**
(vi) चिह्नित निधियों से शेष[2]	5(ii) क (क)	22	- **10.86**	- **10.86**
पूँजीगत व्यय		5&16	1,58,92.58 **10,30,00.76**	54,22.20 **10,30,00.76**
(i) कंपनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	3(x)(क)	8&19	1,62.39 **46,17.16**	81.12 **34,28.03**
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय		5&16	1,57,30.19 **9,83,83.60**	53,41.08 **9,95,72.73**
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	4	21	**-** **-**	**-** **-**
ऋण और अग्रिम	6(ग)	18	95.51 **17,40.44**	35.80 **17,40.44**
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम		21	**-** **12.69**	**-** **12.69**
उचंत और विविध शेष[3]	5(iii)	21	**-** **3,44.15**	**-** **3,44.15**
प्रेषण शेष			- -	- -
आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण			25.00	-
प्राप्तियों पर व्यय की संचयी अधिकता[4]			3,00.14 $	1,62.09
			-	-
कुल			1,77,60.92 **10,50,55.96**	71,02.37 **10,50,55.96**

[1] *परिसंपत्तियों और देयताओं के आँकड़े संचयी आँकड़े हैं। कृपया 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' अनुभाग में टिप्पणी 1 (ii) का भी अवलोकन करें।*

[2] *कंपनियों इत्यादि के शेयरों में चिह्नित निधियों में से निवेश को पूँजीगत व्यय से बाहर रखा गया है और 'चिह्नित निधियों से निवेश' के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।*

[3] *इस विवरण मे लाइन मद 'उचत और विविध शेष' मे 'रोकड़ शेष निवेश लेखा, 'विभागीय शेष' और 'स्थायी नकद अग्रदाय' सम्मिलित नही हैं, जिनको अलग से ऊपर सम्मिलित किया गया है, हालांकि बाद वाला इन लेखाओं में कहीं और इस क्षेत्रक का हिस्सा है।*

[4] *प्राप्तियों पर व्यय अथवा व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता वर्तमान वर्ष के लिए राजकोषीय/ राजस्व घाटे को प्रदर्शित नहीं करती है।*

(*) *कृपया पृष्ठ संख्या 7 पर पाद टिप्पणी '@' "विवरण संख्या 02 के अनुलग्नक" खण्ड-I का संदर्भ लें।*

($) *मुख्य शीर्ष-6003 के अधीन राज्य विकास ऋण के पूर्णांकन के कारण ₹ 0.22 करोड़ की भिन्नता।*

1. वित्तीय स्थिति का विवरण-(समाप्त)

(बोल्ड में आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर यूटी द्वारा प्रतिधारित एवं प्रभाजित किये जाने हेतु 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ करोड़ में)

देयताएं	*संदर्भ क्र. सं.*		31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	विवरण		
उधार (लोक ऋण)			1,26,67.64 **4,66,66.22**	34,98.03 **4,66,66.22**
(i) आंतरिक ऋण		6 व 17	1,05,62.21 **4,54,29.09**	35,56.94 **4,54,29.09**
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-		6 व 17	21,05.44 **12,37.13**	(-)58.91 **12,37.13**
अनियोजित ऋण		6 व 17	- **96.29**	- **96.29**
राज्य आयोजना योजनाओं हेतु ऋण		6 व 17	(-)1,75.81 **10,55.03**	(-)58.47 **10,55.03**
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं हेतु ऋण		6 व 17	-	-
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं के लिए ऋण		6 व 17	-	-
विधानमण्डल योजनाओं के साथ राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के लिए अन्य ऋण		6 व 17	22,81.25 **38.77**	(-)0.44 **38.77**
अन्य ऋण		6 व 17	- **47.04**	- **47.04**
आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)	3	21	25.00 **1.00**	- **1.00**
लोक लेखा पर देयताएं			50,68.28 **3,97,28.77**	36,04.34 **3,97,28.77**
(i) लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि		17 व 21	21,85.97 **2,71,61.62**	10,41.80 **2,71,61.62**
(ii) आरक्षित निधियाँ	4(ii)	21 व 22	7,71.13 **28,05.43**	7,73.57 **69,14.23**
(iii) जमाएं		17 व 21	13,55.53 **69,14.23**	1,86.95 **28,05.43**
(iv) प्रेषण शेष	4(iii)	21	6,34.50 **28,47.49**	13,98.31 **28,47.49**
(v) उचंत और विविध शेष	4(iii)	21	1,21.15 # -	2,03.71 -
व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता		12	- **1,86,59.97**	- **1,86,59.97**
कुल			1,77,60.92 **10,50,55.96**	71,02.37 **10,50,55.96**

 # एमएच-6003 के अंतर्गत राज्य विकास ऋण को बट्टे खाते डालने के कारण ₹ 0.22 करोड़ की प्राप्ति सम्मिलित नहीं है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

भाग-I समेकित निधि					
अनुभाग-क: राजस्व					
प्राप्तियाँ			**संवितरण**		
	2020-21	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**		**2020-21**	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
					(₹ करोड़ में)
राजस्व प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**5,24,95.48**	**2,25,57.34**	**राजस्व व्यय** *(संदर्भ विवरण 4-क,4-ख एवं 15)*	**5,26,33.75**	**2,27,19.43**
कर राजस्व (संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सृजित) *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**88,76.99**	**40,56.49**	**वेतन[1]** *(संदर्भ विवरण 4-ख और परिशिष्ट-I)*	**2,38,50.26**	**1,07,07.38**
करेतर राजस्व *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**40,76.38**	**20,62.77**	**सहायिकाएं[1]** *(संदर्भ परिशिष्ट-II)*	**0.19**	**-**
			सहायता अनुदान[1] [2] *(संदर्भ विवरण 4-ख, 10 और परिशिष्ट-III)*	**64,70.27**	**39,66.96**
ब्याज प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	17.86	9.24	**सामान्य सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4 व 15)*	**1,76,94.17**	**60,35.44**
अन्य *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	40,58.52	20,53.53	ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा *(संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख व 15)*	64,28.09	25,31.63
			पेन्शन *(संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख व 15)*	90,78.11	20,95.31
संघीय कर/ शुल्कों का अंश *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**-**	**-**	अन्य *(संदर्भ विवरण 4-ख)*	21,87.97	14,08.50
			समाज सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क व 15)*	**38,41.64**	**16,46.05**
			आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क व 15)*	**7,77.21**	**3,63.60**
केन्द्र सरकार से अनुदान *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**3,95,42.11**	**1,64,38.08**	**स्थानीय निकायों और पीआरआई को प्रतिकर और समुदेशन** *(संदर्भ विवरण 4-क व 15)*	**-**	**-**
राजस्व घाटा	**1,38.27**	**1,62.09**	**राजस्व अधिशेष**	**-**	**-**

[1] *वेतन, सहायिकी और सहायता-अनुदान के आँकड़ों को सभी क्षेत्रकों में एक समेकित आँकड़ा पेश करने के लिए अभिव्यक्त किया गया है। 'सामाजिक', 'सामान्य' और 'आर्थिक' सेवाओं के क्षेत्रों के अंतर्गत इस विवरण में होने वाले व्यय में राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन, सहायिकी और सहायता अनुदान (इनकी व्याख्या क्रमशः विवरण 15 खण्ड-II में नीचे 'सामान्य', 'सामाजिक', और 'आर्थिक सेवाओं' के रूप में पाद टिप्पणी भ, म, और य में की गई है।) पर व्यय सम्मिलित नहीं है।*

[2] सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, कंपनियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता-अनुदान दी जाती है जो ऊपर एक लाइन मद के रूप में सम्मिलित है। ये अनुदान स्थानीय निकायों के लिए करों, शुल्कों की क्षतिपूर्ति और आबंटन से अलग हैं, जिन्हें स्थानीय निकायों और पीआरआई को क्षतिपूर्ति और आबंटन के रूप में दर्शाया गया है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(जारी)

भाग-I समेकित निधि-(समाप्त)					
अनुभाग-ख: पूँजीगत					
प्राप्तियाँ			**संवितरण**		
	2020-21	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**		**2020-21**	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
					(₹ करोड़ में)
पूँजीगत प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**-**	**-**	**पूँजीगत व्यय** *(संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख व 16)*	**1,04,70.38**	**54,22.20** [क]
			सामान्य सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क व 16)*	**7,76.24**	**7,33.57**
			समाज सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क व 16)*	**24,92.57**	**14,92.93**
			आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क व 16)*	**72,01.57**	**31,95.70**
ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	**1.93**	**2.34**	**संवितरित ऋण और अग्रिम** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)*	**61.64**	**38.14**
सामान्य सेवाएं *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	-	-	**सामान्य सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)*	-	-
समाज सेवाएं *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	0.17	0.30	**समाज सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)*	1.00	-
आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	1.29	1.89	**आर्थिक सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)*	60.64	38.14
अन्य (सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण) *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	0.47	0.15	**अन्य (सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण)** *(संदर्भ विवरण 4-क 7 व 18)*	-	-
लोक ऋण प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3, 6 व 17)*	**4,27,32.93**	**1,66,47.37**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान** *(संदर्भ विवरण 4-क, 6 व 17)*	**3,35,63.32**	**1,31,49.34**
आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, एनएसएसएफ इत्यादि) *(संदर्भ विवरण 3, 6 व 17)*	4,04,50.24	1,66,47.37	आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, एनएसएसएफ इत्यादि) *(संदर्भ विवरण 4-क, 6 व 17)*	3,34,44.98	1,30,90.43
भारत सरकार से ऋण *(संदर्भ विवरण 3,6 व 17)*	22,82.69	-	भारत सरकार से ऋण *(संदर्भ विवरण 4-क,6 व 17)*	1,18.34	58.91
आकस्मिकता निधि में अंतरण	**-**	**-**	**आकस्मिकता निधि में अंतरण**	**25.00**	**-**
आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	आकस्मिकता निधि में विनियोग	25.00	-
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि *(संदर्भ विवरण 3)*	**9,52,30.34**	**3,92,07.05**	**कुल व्यय समेकित निधि** *(संदर्भ विवरण 4)*	**9,67,54.09**	**4,13,29.11**
समेकित निधि में घाटा	**15,23.75**	**21,22.06**	**समेकित निधि में अधिशेष**		**-**

(क) ₹ 0.17 करोड़ का वेतन, ₹ 1,28.05 करोड़ का सहायिकी और ₹ 61.59 करोड़ का सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। कृपया "अनुलग्नक-"ख" लेखाओं पर टिप्पणियाँ खण्ड-I का अवलोकन करे |

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण -(जारी)

अनुभाग-ख: पूँजीगत-(समाप्त)					
प्राप्तियाँ			**संवितरण**		
	2020-21	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**		**2020-21**	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
					(₹ करोड़ में)
भाग-II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि *(संदर्भ विवरण 21)*	**25.00**	**-**	**आकस्मिकता निधि** *(संदर्भ विवरण 21)*	**-**	**-**
भाग-III लोक लेखा[4]					
लघु बचतें	**59,68.29**	**25,95.70**	**लघु बचतें**	**48,24.12**	**15,53.90**
आरक्षित और ऋण शोधन निधियाँ *(संदर्भ विवरण 21)*	**7,90.67**	**5,65.90**	**आरक्षित और ऋण शोधन निधियाँ** *(संदर्भ विवरण 21)*	**2,06.49**	**3,78.95**
जमाएं *(संदर्भ विवरण 21)*	**34,27.29**	**19,31.93**	**जमाएं** *(संदर्भ विवरण 21)*	**28,45.33**	**11,58.36**
अग्रिम *(संदर्भ विवरण 21)*	**-**	**-**	**अग्रिम** *(संदर्भ विवरण 21)*	**-**	**-**
उचंत तथा विविध[5] *(संदर्भ विवरण 21)*	**1,26,55.15**	**40,02.79**	**उचंत तथा विविध[5]** (संदर्भ विवरण 21)	**1,27,37.49**	**37,99.08**
प्रेषण *(संदर्भ विवरण 21)*	**19,92.42**	**22,67.87**	**प्रेषण** *(संदर्भ विवरण 21)*	**27,56.23**	**8,69.56**
कुल प्राप्तियाँ लोक लेखा *(संदर्भ विवरण 21)*	**2,48,33.82**	**1,13,64.19**	**कुल संवितरण लोक लेखा** *(संदर्भ विवरण 21)*	**2,33,69.66**	**77,59.85**
लोक लेखा में घाटा	**-**	**-**	**लोक लेखा में अधिशेष**	**14,64.16**	**36,04.34**
अंतर्राज्यीय निपटारा लेखा (निवल)	-	-	**अंतर्राज्यीय निपटारा लेखा (निवल)**	-	-
अथ रोकड़ शेष	**14,82.28**	**-**	**अंत रोकड़ शेष**	**14,47.69**	**14,82.28** (#)
रोकड़ शेष में वृद्धि	**-**	**14,82.28**	**रोकड़ शेष में घाटा**	**34.59**	

[4] ब्योरे हेतु कृपया विवरण 17 तथा 21 में खंड II का संदर्भ लें।

[5] उचंत और विविध में "अन्य लेखे" जैसे रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि सम्मिलित हैं। इन अन्य लेखाओं के कारण आँकड़े बहुत बड़े दिखाई दे सकते हैं। ब्योरे हेतु कृपया विवरण 21, खण्ड-II का संदर्भ लें।

(#) कृपया पृष्ठ संख्या 7 पर विवरण संख्या 2 खण्ड-I के "परिशिष्ट" पाद टिप्पणी '@' का संदर्भ लें।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण -(जारी)

अनुलग्नक क

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

सरकार की संपूर्ण रोकड़ स्थिति	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2021 को**
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
(i) कोषागारों में रोकड़	-	-
	6.77	**6.77**
(ii) आरबीआई के पास अग्रिम **एमएच 8999**	14,82.28	14,47.69 (@)
	(-)4,69.74	**(-)4,69.74**
(iii) जेएण्डके बैंक और अन्य बैंकों में जमा	-	-
	21.02	**21.02** ($)
(iv) स्थानीय प्रेषण	-	-
कुल	14,82.28	14,47.69
	(-)4,41.95	**(-)4,41.95**
- रोकड़ शेष निवेश खाते में रोका गया शेष **(एमएच 8673)**	-	-
	3,83.92	**3,83.92**
कुल (क)	14,82.28	14,82.28
	(-)58.03	**(-)58.03**
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
(i) विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़, अर्थात्, लोक निर्माण एवं वन के प्रभागीय अधिकारी	4.97	**4.97**
(ii) विभागीय अधिकारियों के साथ आकस्मिक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम	0.12	**0.12**
(iii) चिह्नित निधियों में से निवेश	10.86	**10.86** (^)
कुल (ख)	**15.95**	**15.95**
कुल (क) और (ख)	14,82.28	14,47.69
	(-)42.08	**(-)42.08**

रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों: रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य राजकोषों, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा, अन्य बैंकों तथा पारगमन में प्रेषण, रोकड़ से मिलकर बना है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। ' रिजर्व बैंक के पास जमा' शीर्ष के अंतर्गत शेष, 31 मार्च 2021 के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाता है। संपूर्ण रोकड़ स्थिति तक पहुँचने के लिए रोकड़ शेषों/ आरक्षित निधियों आदि में से कोषागारों, विभागों और निवेशों में रखे रोकड़ शेष 'आरबीआई के पास जमा' शेष में जमा किया जाता है।

(@) *रिजर्व बैंक के पास जमा' शेष भारतीय लेखा के अनुसार रखे शेष को दर्शाता है, जिसमें 10 अप्रैल 2020 तक भारतीय रिज़र्व बैंक की सरकारी भुगतानों की सलाह भी सम्मिलित है। जैसा कि लेखाओं से पता चलता है कि अंकों के मध्य ₹ 0.58 करोड़ (क्रे.) का कुल अंतर है [₹ 14,82.28 करोड़ (डे.)] और जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किया*

($) *जिसमें इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लाहौर में पड़े ₹ 0.03 करोड़ भी सम्मिलित हैं। हालांकि यह लेखा परिचालित नहीं किया जा रहा है।*

(^) *निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (अगस्त 2021) है।*

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(जारी)

अनुलग्नक क-(जारी)

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश -(जारी)

(क) दैनिक रोकड़ शेषः भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक करार के अंतर्गत, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार को दिनांक 01.04.2020 से सभी दिवसों में बैंक में ₹ 1.14 करोड़ के न्यूनतम रोकड़ शेष का अनुरक्षण करना है। यदि किसी दिन शेष सहमत न्यूनतम से कम रहता है, तो कमी को समय-समय पर सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्टों को लेते हुए ठीक किया जाता है। दिनांक 31 मार्च 2021 तक उपर्युक्त न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष की सीमा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अनुदान के सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवर ड्राफ्टों के प्रयोजनों हेतु दैनिक रोकड़ को शेष बनाये रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक 14 दिनों के कोषागार बिलों की होल्डिंग के साथ दिन में हुए संव्यवहारों की रिर्पोटों (आरबीआई कांउटर पर एजेन्सी बैंकों द्वारा अंतर सरकारी संव्यवहार तथा कोषागार संव्यवहार को रिपोर्ट किया गया) का मूल्यांकन करती है। ऐसा करके जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उसको 14 दिनों के कोषागार बिलों की परिपक्वता यदि कोई हो, को जोड़कर और न्यूनतम रोकड़ शेष बनाये रखने के उपरांत बकाया शेष, यदि कोई हो, को कोषागार बिलों में पुन: निवेश किया जाता है। **परिणामस्वरूप प्राप्त कुल रोकड़ शेष यदि न्यूनतम रोकड़ शेष एवं जमा शेष से कम रहता है** और अगर उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषागार बिल परिपक्व नहीं हो रहा है, उस स्थिति में आरबीआई 14 दिनों के कोषागार बिलों की होल्डिंग्स को फिर से छूट प्रदान करती है और कमियों को दूर करती है। यदि उस दिन कोई 14 दिवसीय कोषागार बिल की होल्डिंग्स न हो उस स्थिति में सरकार अन्य सामान्य अर्थोपोय अग्रिमों/ विशिष्ट अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्ट को लागू करती है।

(ख) दिनांक 1 अप्रैल 2020, 17 अप्रैल 2020 तथा 29 सितंबर 2020 के आरबीआई प्रेस रिलीज के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार हेतु सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा ₹ 11,44.00 करोड़ थी, जिसे आगे 17 अप्रैल 2020 से ₹ 14,08.00 करोड़ तक बढ़ा दिया गया।

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान वह तय सीमा, जिसमें सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक से साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बनाये रखती है, नीचे दी गयी है:

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास न्यूनतम रोकड़ शेष का विवरण	**दिनों की संख्या**
उन दिनों की संख्या जिनमें बिना कोई अग्रिम लिये न्यूनतम शेष बनाये रखा गया।	47
उन दिनों की संख्या जिनमें विशिष्ट अर्थोपाय अग्रिमों को प्राप्त करने के माध्यम से न्यूनतम शेष बनाये रखा गया।	शून्य
उन दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों को प्राप्त करने के माध्यम से न्यूनतम शेष बनाये रखा गया।	260
उन दिनों की संख्या जिनमें उपर्युक्त अग्रिम लेने के उपरांत भी न्यूनतम शेष में कमी थी किन्तु कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया।	शून्य
उन दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट लिया गया।	58

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(i) वर्ष 2020-21 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट लिये गये थे। 31.03.2021 को शेष ₹ 17,84.54 करोड़ (सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 7,15.89 करोड़ और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत ₹ 10,68.65 करोड़)। दिनांक 30 अक्टूबर 2019 को ₹ 6,92.11 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 6,92.11 करोड़ और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शून्य) का शेष था जिसे अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(समाप्त)

अनुलग्नक क-(समाप्त)

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश -(समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(समाप्त)

(ii) संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ दिनांक 01.04.2020 से एक करार किया। 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के दौरान रैपो दर निम्नानुसार थी:-

अवधि	**रैपो दर**
01.04.2020 से 21.05.2020	4.40 प्रतिशत
22.05.2020 से 31.03.2021	4.00 प्रतिशत

सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों संबंध में ब्याज 90 दिनों तक प्रभारित किया जाता है, जो रैपो दर के समकक्ष होता है और 90 दिनों से अधिक अवधि हो जाने पर यही ब्याज रैपो का एक प्रतिशत अधिक हो जाता है।

सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की 100 प्रतिशत तक की सीमा तक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर रैपो दर से दो प्रतिशत अधिक होता है तथा सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों के 100 प्रतिशत से अधिक होने पर यही रैपो दर पाँच प्रतिशत से अधिक हो जाती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्टों पर भारतीय रिज़र्व बैंक को क्रमश: ₹ 34.87 करोड़ तथा ₹ 5.26 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

(ग) वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार के कोषागार बिल जिनका मूल्य ₹ 1,19,04.12 करोड़ (₹ 1,19,04.12 करोड़ भारत सरकार के 14 दिवसीय कोषागार बिल तथा शून्य संघ शासित क्षेत्र प्रतिभूतियाँ) था, उन्हें 14 अवसरों पर खरीदा गया तथा ₹ 1,19,04.12 करोड़ (₹ 1,19,04.12 करोड़ भारत सरकार के 14 दिवसीय कोषागार बिल तथा शून्य संघ शासित क्षेत्र प्रतिभूतियाँ) को 35 अवसरों पर पुन: छूट दी गई। 31 मार्च 2021 को रोकड़ शेष निवेश लेखा में कोई राशि नहीं थी। तथापि, 30 अक्टूबर 2019 को रोकड़ शेष निवेश लेखा में रोकी गयी ₹ 3,83.92* करोड़ की राशि अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

(घ) वर्ष 202-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा रोकड़ शेष निवेश लेखा पर ₹ 0.11 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था।

(*) *निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (अगस्त 2021) है।*

3. प्राप्तियों का विवरण-(समेकित निधि)

			(₹ करोड़ में)
		(वास्तविक)	(वास्तविक)
	विवरण	**2020-21**	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
	राजस्व प्राप्तियाँ-		
क.	**कर राजस्व-**		
क.1	**स्वयं के कर राजस्व-**	**88,76.99**	**40,56.49**
	संघ शासित क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर	48,39.35	21,15.75
	भू-राजस्व	60.57	48.32
	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	3,25.54	1,17.54
	राज्य उत्पाद शुल्क	13,47.42	5,87.67
	बिक्री कर	14,95.61	7,82.43
	वाहनों पर कर	4,88.38	2,46.08
	वस्तुओं और यात्रियों पर कर	0.90	1,58.47
	विद्युत पर कर और शुल्क	3,19.22	0.23
	अन्य	-	-
क.2	**करों की निवल प्राप्तियों का अंश -**	**-**	**-**
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	-	-
	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	-	-
	निगम कर	-	-
	निगम कर के अलावा आय पर कर	-	-
	आय और व्यय पर अन्य कर	-	-
	धन संपत्ति पर कर	-	-
	सीमा शुल्क	-	-
	संघीय उत्पाद शुल्क	-	-
	सेवा कर	-	-
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	-	-
	अन्य	-	-
	कुल-क	**88,76.99**	**40,56.49**
ख.	**करेतर राजस्व-**		
	विद्युत	23,49.74	11,96.66
	मुख्य/ मध्यम सिंचाई	9,96.66	6,06.73
	अलौह खनन और धात्विक उद्योग	2,27.91	14.61
	वानिकी और वन्य जीवन	1,52.97	8.94

3. प्राप्तियों का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

			(₹ करोड़ में)
		(वास्तविक)	(वास्तविक)
	विवरण	**2020-21**	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
	राजस्व प्राप्तियाँ-(जारी)		
ख.	**करेतर राजस्व-**(समाप्त)		
	जलापूर्ति और स्वच्छता	93.89	59.54
	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	41.33	2.27
	पुलिस	39.91	35.85
	लोक निर्माण	25.49	7.96
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	23.82	11.32
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	19.15	13.78
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	17.86	9.24
	फसल पैदावार	13.29	7.50
	पशुपालन	11.20	3.43
	लघु सिंचाई	9.42	1.95
	श्रम और रोजगार	9.35	0.61
	मत्स्यपालन	7.82	3.44
	खाद्य संग्रहण और भण्डारण	7.55	0.47
	पेन्शन और विविध सामान्य सेवाएं	6.18	62.73
	लेखन सामग्री और मुद्रण	5.05	5.72
	आवास	4.08	1.84
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3.47	1.44
	ग्राम और लघु उद्योग	2.63	2.14
	पर्यटन	2.13	0.53
	शहरी विकास	0.37	2.18
	अन्य	5.11	1.89
	कुल-ख	**40,76.38**	**20,62.77**

3. प्राप्तियों का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

				(₹ करोड़ में)
			(वास्तविक)	**(वास्तविक)**
	विवरण		**2020-21**	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
	राजस्व प्राप्तियाँ-(समाप्त)			
II.	**भारत सरकार से अनुदान**			
ग.	**अनुदान-**			
	केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-			
	केन्दीय प्रायोजित योजनाएं-		**65,33.49**	**34,06.82**
		केन्द्रीय सहायता/ अंश	63,85.75	34,06.82
		बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	1,47.74*	-
		अन्य	-	-
	वित्त आयोग अनुदान-		**-**	**-**
		पश्च अंतरण राजस्व घाटा अनुदान	-	-
		ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	-	-
		शहरी स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	-	-
		राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष हेतु सहायता अनुदान	-	-
	अन्य अंतरण/ राज्यों/ विधानमण्डल युक्त संघ शासित क्षेत्रों को अनुदान-		**3,30,08.62**	**1,30,31.26**
		संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	-	-
		केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	79.40	49.48
		विशेष सहायता	3,07,58.00 $	
		जीएसटी के कार्यान्वयन से हुयी राजस्व की हानि हेतु प्रतिकर	21,71.22	12,47.28
		राजस्व घाटे को प्राप्त करने हेतु अनुदान	-	1,17,34.50
		कुल-ग	**3,95,42.11**	**1,64,38.08**
		कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)	**5,24,95.48**	**2,25,57.34**
III.	**पूँजीगत, सार्वजनिक ऋण और अन्य प्राप्तियाँ**			
घ.	**पूँजीगत प्राप्तियाँ-**			
	विनिवेश प्राप्तियाँ		-	-
	अन्य		-	-
		कुल-घ	**-**	**-**

* *भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के प्रति ₹ 51.49 करोड़ की अनुदान सम्मिलित हैं।*

$ *संघ शासित क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि-जेएण्डके अंशदान के प्रति ₹ 2,79.00 करोड़ की अनुदान सम्मिलित हैं।*

3. प्राप्तियों का विवरण-(समेकित निधि)-(समाप्त)

				(₹ करोड़ में)
			(वास्तविक)	(वास्तविक)
	विवरण		**2020-21**	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
ङ.	**लोक ऋण प्राप्तियाँ-**			
	आंतरिक ऋण-		**4,04,50.24**	**1,66,47.37**
		बाजार ऋण	93,28.00	39,86.00
		आरबीआई से डब्ल्यूएमए[1]	3,08,00.28	1,24,00.30
		बंध पत्र	-	-
		वित्तीय संस्थानों से ऋण	3,21.96	2,61.07
		राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-	-
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-		**22,82.69**	**-**
		केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-	-
		अन्य ऋण	-	-
		विधानमण्डल योजनाओं वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के लिए अन्य ऋण	22,82.69	-
		कुल-ङ	**4,27,32.93**	**1,66,47.37**
च.	**राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम (वसूलियाँ) [2]**		**1.93**	**2.34**
छ.	**अंतर्राज्यीय निपटारा**		**-**	
	समेकित निधि मे कुल प्राप्तियाँ [3] (क +ख +ग +घ +ङ +च +छ)		**9,52,30.34**	**3,92,07.05**

[1] *भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से लिये गये अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट।*

[2] ब्योरे विवरण सं. 7 खण्ड-I और 18 खण्ड-II में दिये गये हैं।

[3] *ब्योरे विवरण 14 और 17 खण्ड-II में दिये गये हैं।*

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय					
विवरण		**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
		(₹ करोड़ में)			
क.	**सामान्य सेवाएं-**				
क.1	**राज्य के अंग-**	**3,92.42**	**-**	**-**	**3,92.42**
	संसद/ राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल	23.59	-	-	23.59
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक	10.95	-	-	10.95
	मंत्रिपरिषद	-	-	-	-
	न्याय-प्रशासन	2,54.38	-	-	2,54.38
	चुनाव	1,03.50	-	-	1,03.50
क.2	**राजकोषीय सेवाएं-**	**69,70.21**	**-**	**-**	**69,70.21**
	भू-राजस्व	4.24	-	-	4.24
	स्टाम्प और पंजीकरण	12.45	-	-	12.45
	संपत्ति और पूँजीगत संव्यवहारों पर अन्य करों का संग्रहण	-	-	-	-
	राज्य उत्पाद शुल्क	26.79	-	-	26.79
	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	8.40	-	-	8.40
	वाहनों पर कर	20.93	-	-	20.93
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शुल्कों का संग्रहण	4,67.71	-	-	4,67.71
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0.26	-	-	0.26
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.34	-	-	1.34
	ब्याज भुगतान और ऋण-सेवा	64,28.09	-	-	64,28.09
क.3	**प्रशासनिक सेवाएं-**	**90,79.27**	**7,05.78**	**-**	**97,85.05**
	लोक सेवा आयोग	8.29	-	-	8.29
	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	1,43.46	-	-	1,43.46
	जिला प्रशासन	4,76.17	-	-	4,76.17
	कोषागार और लेखा प्रशासन	1,48.12	-	-	1,48.12
	पुलिस	71,12.39	1,64.10	-	72,76.49
	कारावास	75.98	-	-	75.98
	लेखन सामग्री और मुद्रण	36.59	2.74	-	39.33
	लोक निर्माण	6,43.48	5,31.57	-	11,75.05
	सतर्कता	54.46	-	-	54.46
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3,80.33	7.37	-	3,87.70

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(जारी)					
	विवरण	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
		(₹ करोड़ में)			
क.4	**पेन्शन और विविध सामान्य सेवाएं-**	**90,79.26**	**70.46**	-	**91,49.72**
	पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	90,78.11	-	-	90,78.11
	विविध सामान्य सेवाएं	1.15	70.46	-	71.61
	कुल सामान्य सेवाएं	**2,55,21.16**	**7,76.24**	**-**	**2,62,97.40**
ख.	**समाज सेवाएं-**				
ख.1	**शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (विवरण के नीचे [1] देखें)**	**1,00,92.54**	**5,97.74**	**-**	**1,06,90.28**
	सामान्य शिक्षा	95,70.79	5,97.74	-	1,01,68.53
	तकनीकी शिक्षा	1,14.10	-	-	1,14.10
	खेल और युवा सेवाएं	3,64.34	-	-	3,64.34
	कला और संस्कृति	43.31	-	-	43.31
ख.2	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-**	**44,27.59**	**5,29.85**	**-**	**49,57.44**
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	42,15.26	5,29.85	-	47,45.11
	परिवार कल्याण	2,12.33		-	2,12.33
ख.3	**जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-**	**27,10.12**	**8,48.69**	**-**	**35,58.81**
	जलापूर्ति और स्वच्छता	16,18.44	3,11.29	-	19,29.73
	आवास	1,04.52	0.32	-	1,04.84
	शहरी विकास	9,87.16	5,37.08	-	15,24.24
ख.4	**सूचना और प्रसारण-**	**79.51**	**0.44**	**-**	**79.95**
	सूचना और प्रचार	79.51	0.44	-	79.95
ख.5	**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-**	**87.29**	**31.28**	**-**	**1,18.57**
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	87.29	31.28	-	1,18.57
ख.6	**श्रम और श्रम कल्याण-**	**46.07**	**-**	**-**	**46.07**
	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	46.07	-	-	46.07

[1] *सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा सेवाएं, कला और संस्कृति के प्रति पूँजीगत परिव्यय बुक करने हेतु केवल मुख्य शीर्ष।*

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(जारी)					
	विवरण	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
			(₹ करोड़ में)		
ख.7	**समाज कल्याण और पोषण -**	**19,83.29**	**4,68.50**	**1.00**	**24,52.79**
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	12,65.83	4,52.05	-	17,18.88
	पोषण	4,05.88	16.45	1.00	4,22.33
	प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राहत	3,11.58	-	-	3,11.58
ख.8	**अन्य-**	**45.29**	**16.07**	**-**	**61.36**
	अन्य समाज सेवाएं	3.05	16.07	-	19.12
	सचिवालय- समाज सेवाएं	42.24	-	-	42.24
	कुल समाज सेवाएं	**1,94,71.70**	**24,92.57**	**1.00**	**2,19,65.27**
ग.	**आर्थिक सेवाएं-**				
ग.1	**कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-**	**28,70.56**	**7,02.31**	**-**	**35,72.87**
	फसल पैदावार	5,02.42	2,81.92	-	7,84.34
	मृदा एव जल संरक्षण	75.95	2.91	-	78.86
	पशुपालन	5,12.96	1,29.02	-	6,41.98
	डेयरी विकास	-	-	-	-
	मत्स्यपालन	89.86	34.70	-	1,24.56
	वानिकी एवं वन्य जीवन	10,78.68	1,33.56	-	12,12.24
	खाद्य, भण्डार एवं भण्डारण	1,43.95	97.13	-	2,41.08
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,89.76	14.92	-	4,04.68
	सहकारिता	42.20	8.15	-	50.35
	अन्य कृषिगत कार्यक्रम	34.78	-	-	34.78
ग.2	**ग्रामीण विकास-**	**4,48.06**	**20,22.86**	-	**24,70.92**
	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम-	23.58	-	-	23.58
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार	-	-	-	-
	भूमि सुधार	-	-	-	-
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,24.48	20,22.86	-	24,47.34
ग.3	**विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-**	**-**	**-**	-	**-**
	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-
ग.4	**सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण-**	**6,11.85**	**1,47.72**	-	**7,59.57**
	मुख्य सिंचाई	7.69	-	-	7.69
	मध्यम सिंचाई	70.95	10.92	-	81.87
	लघु सिंचाई	3,89.93	37.37	-	4,27.30
	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	30.92	16.59	-	47.51
	बाढ़ नियंत्रण एवं अपवाह	1,12.36	82.84	-	1,95.20
ग.5	**ऊर्जा-**	**28,12.84**	**5,89.58**	**-**	**34,02.42**
	विद्युत	28,12.84	5,89.58	-	34,02.42

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(समाप्त)					
	विवरण	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
		(₹ करोड़ में)			
ग.6	**उद्योग एवं खनिज -**	**3,58.28**	**1,63.76**	**28.14**	**5,50.18**
	ग्राम एवं लघु उद्योग	3,04.20	1,56.14	-	4,60.34
	लौह एवं इस्पात उद्योग	-	5.40	-	5.40
	अलौह खनन एवं धात्विक उद्योग	54.08	2.22	-	56.30
	अन्य उद्योग एवं खनिज	-	-	28.14	28.14
ग.7	**परिवहन-**	**2,10.38**	**26,27.86**	**32.50**	**28,70.74**
	सड़कें और पुल	2,10.38	25,43.13	-	27,53.51
	सड़क परिवहन	-	84.73	32.50	1,17.23
ग.8	**संचार**	**-**	**-**	**-**	**-**
ग.9	**विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण-**	**41.94**	**24.23**	-	**66.17**
	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	41.94	-	-	41.94
	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान	-	24.23	-	24.23
ग.10	**सामान्य आर्थिक सेवाएं-**	**2,86.98**	**9,23.25**		**12,10.23**
	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	72.97	-	-	72.97
	पर्यटन	1,35.03	76.57	-	2,11.60
	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	67.66	-	-	67.66
	सामान्य वितीय और व्यापार संस्थानों में निवेश	-	-	-	-
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	11.32	8,46.68	-	8,58.00
	कुल आर्थिक सेवाएं	**76,40.89**	**72,01.57**	**60.64**	**1,49,03.10**
घ.	**सरकारी सेवकों को ऋण इत्यादि-**				
	सरकारी सेवकों को ऋण इत्यादि-	-	-	-	-
	विविध ऋण	-	-	-	-
	कुल सरकारी सेवकों को ऋण इत्यादि	**-**	**-**	**-**	**-**
ङ.	**लोक ऋण-**				
	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	-	-	3,34,44.98	3,34,44.98
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	-	-	1,18.34	1,18.34
	कुल लोक ऋण	**-**	**-**	**3,35,63.32**	**3,35,63.32**
च.	**अंतर्राज्यीय निपटारा**	**-**	**-**	**-**	**-**
	आकस्मिकता निधि में विनियोग	**-**	**-**	**25.00**	**25.00**
	कुल समेकित निधि व्यय	**5,26,33.75**	**1,04,70.38**	**3,36,49.96**	**9,67,54.09**

4 व्यय का विवरण-

ख. प्रकृति के

	व्यय की वस्तु	**2020-21**		
		राजस्व	**पूँजीगत**	**कुल**
	(1)	(2)	(3)	(4)
				(₹ करोड़ में)
1	वेतन	2,38,50.26	0.17	2,38,50.43
2	निर्माण	88.92	87,70.21	88,59.13
3	सहायता अनुदान	64,70.27	61.59	65,31.86
4	ब्याज	63,72.46	-	63,72.46
5	पेन्शन और उपदान	90,78.11	-	90,78.11
6	सामग्री और आपूर्तियाँ	2,90.64	19.43	3,10.07
7	एसपीओ/ वीडीसी/ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं इत्यादि को मानदेय	7,95.64	2.88	7,98.52
8	विद्युत प्रभार	6,17.66	-	6,17.66
9	समारक्षण का बाह्यस्रोतन	3,35.97	-	3,35.97
10	मशीनरी और उपकरण	2,41.61	38.82	2,80.43
11	परिवहन/ संभलाई प्रभार	2,08.86	0.42	2,09.28
12	अनुरक्षण और मरम्मत	3,39.29	-	3,39.29
13	रोकड़ सहायता	2,75.34	-	2,75.34
14	वजीफा और छात्रवृत्ति	1,83.14	-	1,83.14
15	सहायिकी	0.19	1,28.05	1,28.24
16	किराया दर और कर	1,49.93	-	1,49.93
17	औषधि और यंत्र	5,17.10	27.65	5,44.75
18	कार्यालयीन व्यय	88.46	0.57	89.03
19	होटलों का किराया	70.08	-	70.08
20	आरक्षित और जमा निधि को हस्तांतरित	4,45.03	-	4,45.03
21	विज्ञापन और प्रचार	64.29	0.34	64.63
22	लघु निर्माण कार्य	-	2,24.11	2,24.11
23	पुस्तकें, आवधिक पत्रिकाएं और प्रकाशन	23.76	0.39	24.15
24	यात्रा प्रभार	60.41	2.04	62.45
25	पीओएल	56.46	0.29	56.75
26	प्रतिकर	48.53	-	48.53
27	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	32.99	-	32.99
28	नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम	19.49	-	19.49
29	कैम्प, संगोष्ठियाँ और सम्मेलन	14.55	0.73	15.28
30	फर्नीचर और साज-सज्जा	21.91	0.83	22.74
31	आहार खर्चे/ प्रभार	33.28	-	33.28
32	अमर नाथ यात्रा	5.68	-	5.68
33	राहत और पुनर्वास	3,24.40	0.03	3,24.43
34	पोशाक	12.63	-	12.63
35	दूरभाष	15.37	-	15.37
36	पुरस्कार	6.96	4.18	11.14
37	निर्माण कार्य	-	-	-
38	मजदूरियाँ	1.27	-	1.27
39	टीकाकरण	1.57	1.72	3.29
40	अन्य	14,71.24	11,85.93	26,56.53
	कुल	**5,26,33.75**	**1,04,70.38**	**6,31,04.13**

(समेकित निधि)- (समाप्त)

अनुसार व्यय

2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)		
राजस्व	**पूँजीगत**	**कुल**
(5)	(6)	(7)
		(₹ करोड़ में)
1,07,07.38	-	1,07,07.38
0.24	49,07.49	49,07.73
39,66.96	32.02	39,98.98
25,31.63	-	25,31.63
20,95.31	-	20,95.31
2,67.48	94.68	3,62.16
2,56.86	2.55	2,59.41
2,40.23	0.08	2,40.31
2,12.84	-	2,12.84
1,87.27	6.38	1,93.65
1,54.25	0.01	1,54.26
1,49.50	0.01	1,49.51
93.01	-	93.01
91.96	0.17	92.13
-	87.69	87.69
69.45	-	69.45
52.91	-	52.91
50.78	0.40	51.18
49.57	-	49.57
49.48	-	49.48
46.38	0.07	46.45
-	46.29	46.29
29.94	0.04	29.98
29.38	0.13	29.51
28.81	0.15	28.96
27.61	-	27.61
24.61	-	24.61
21.77	-	21.77
17.02	1.54	18.56
15.83	1.05	16.88
16.17	-	16.17
14.11	-	14.11
11.42	2.55	13.97
13.20	-	13.20
6.30	-	6.30
3.67	-	3.67
-	2.10	2.10
0.65	-	0.65
-	-	-
11,85.45	2,36.80	14,22.25
2,27,19.43	**54,22.20**	**2,81,41.63**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	वर्ष 2020-21* के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
							(₹ करोड़ में)
क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-							
4047-	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	
			4.07			**4.07**	
4055-	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	2,10.80	2,10.80	-	1,64.10	3,74.90	
			13,56.87			**13,56.87**	
4058-	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	2.18	2.18	-	2.74	4.92	
			34.95			**34.95**	
4059-	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	4,47.21	4,47.21	-	5,31.57	9,78.78	
			61,53.33			**61,53.33**	
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4.15	4.15	-	7.37	11.52	
			1,04.39			**1,04.39**	
4075-	विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	69.23	69.23	-	70.46	1,39.69	
			1,63.21			**1,63.21**	
	कुल क-सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा	7,33.57	7,33.57	-	7,76.24	15,09.81	
			78,16.82			**78,16.82**	

** वर्ष 2019-20 हेतु पाँच महीनों के लेखा के कारण, विवरण संख्या 5 में वृद्धि/कमी लागू नहीं।*

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	वर्ष 2020-21• के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
							(₹ करोड़ में)
ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-							
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का पूँजीगत लेखा-							
4202-	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-	2,46.83	2,46.83	-	5,97.74	8,44.57	
			69,82.53			**69,82.53**	
	कुल-ख(क)-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का पूँजीगत लेखा	2,46.83	2,46.83	-	5,97.74	8,44.57	
			69,82.53			**69,82.53**	
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-							
4210-	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	3,96.24	3,96.24	-	5,29.85	9,26.09	
			49,06.22			**49,06.22**	
4211-	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	
			7.97			**7.97**	
	कुल-ख(ख)-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा	3,96.24	3,96.24	-	5,29.85	9,26.09	
			49,14.19			**49,14.19**	

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	वर्ष 2020-21• के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
							(₹ करोड़ में)
	ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
	(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-						
4215-	जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	3,65.14	3,65.14	-	3,11.29	6,76.43	
			79,46.76			**79,46.76**	
4216-	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	5.23	5.23	-	0.32	5.55	
			3,74.07			**3,74.07**	
4217-	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	3,46.14	3,46.14	-	5,37.08	8,83.22	
			49,94.90			**49,94.90**	
	कुल-ख(ग)-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा	7,16.51	7,16.51	-	8,48.69	15,65.20	
			1,33,15.73			**1,33,15.73**	
	(घ) सूचना और प्रसारण का पूँजीगत लेखा-						
4220-	सूचना और प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	0.35	0.35	-	0.44	0.79	
			33.49			**33.49**	
	कुल-ख (घ)-सूचना और प्रसारण का पूँजीगत लेखा	0.35	0.35	-	0.44	0.79	
			33.49			**33.49**	

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	वर्ष 2020-21• के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
							(₹ करोड़ में)
	ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
	(ङ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-						
4225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	16.37	16.37	-	31.28	47.65	
			3,05.38			3,05.38	
	कुल-ख (ङ)-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा	16.37	16.37	-	31.28	47.65	
			3,05.38			**3,05.38**	
	(च) समाज कल्याण और पोषण का पूँजीगत लेखा-						
4235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	90.98	90.98	-	4,52.05	5,43.03	
			27,77.63			27,77.63	
4236-	पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	19.80	19.80	-	16.45	36.25	
			3,70.83			3,70.83	
	कुल-ख (छ)-समाज कल्याण और पोषण का पूँजीगत लेखा	1,10.78	1,10.78	-	4,68.50	5,79.28	
			31,48.46			**31,48.46**	

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	वर्ष 2020-21• के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
							(₹ करोड़ में)
	ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)						
	(ज) अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-						
4250-	अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5.85	5.85	-	16.07	21.92	
			3,72.61			3,72.61	
	कुल-ख(ज)-अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा	5.85	5.85	-	16.07	21.92	
			3,72.61			**3,72.61**	
	कुल-ख-समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा	14,92.93	14,92.93	-	24,92.57	39.85.50	
			2,90,72.39			**2,90,72.39**	
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-						
	(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-						
4401-	फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय	2,96.59	2,96.59	-	2,81.92	5,78.51	
			19,46.40			19,46.40	
4402-	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	4.69	4.69	-	2.91	7.60	
			3,90.95			3,90.95	
4403-	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	40.50	40.50	-	1,29.02	1,69.52	
			3,71.43			3,71.43	

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	वर्ष 2020-21• के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
							(₹ करोड़ में)
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
	(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
4404-	डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	
			11.56			11.56	
4405-	मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	6.91	6.91	-	34.70	41.61	
			2,22.30			2,22.30	
4406-	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	27.54	27.54	-	1,33.56	1,61.10	
			9,33.44			9,33.44	
4408-	खाद्य, भण्डार और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय	1,32.05	1,32.05	-	97.13	2,29.18	
			32,67.49			32,67.49	
4415-	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	17.69	17.69	-	14.92	32.61	
			3,36.08			3,36.08	
4416-	कृषिगत वित्तीय संस्थानों में निवेश	-	-	-	-	-	
			#			#	
4425-	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	3.35	3.35	-	8.15	11.50	
			4,01.61			4,01.61	

 # नगण्य ₹ 0.40 लाख मात्र।

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	वर्ष 2020-21• के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
							(₹ करोड़ में)
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4435-	अन्य कृषिगत कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	
			4.07			**4.07**	
	कुल-ग(क)-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा	5,29.32	5,29.32 **78,85.33**	-	7,02.31	12,31.63 **78,85.33**	
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ख) ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा-							
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	6,84.14	6,84.14	-	20,22.86	27,07.00	
			1,02,59.36			**1,02,59.36**	
	कुल-ग (ख)-ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा	6,84.14	6,84.14 **1,02,59.36**	-	20,22.86	27,07.00 **1,02,59.36**	
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-							
4575-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	
			36,88.82			**36,88.82**	
	कुल-ग(ग)-विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा	-	- **36,88.82**	-	-	- **36,88.82**	

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	वर्ष 2020-21• के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
							(₹ करोड़ में)
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
	(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-						
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	4.04	4.04	-	10.92	14.96	
			12,57.66			**12,57.66**	
4702-	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	59.88	59.88	-	37.37	97.25	
			20,60.63			**20,60.63**	
4705-	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	3.79	3.79	-	16.59	20.38	
			3,22.06			**3,22.06**	
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	73.83	73.83	-	82.84	1,56.67	
			16,96.00			**16,96.00**	
	कुल-ग(घ)-सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा	1,41.54	1,41.54	-	1,47.72	2,89.26	
			53,36.35			**53,36.35**	
	(ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-						
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,85.21	1,85.21	-	5,89.58	7,74.79	
			1,42,12.80			**1,42,12.80**	
	कुल-ग(ङ)- ऊर्जा का पूँजीगत लेखा	1,85.21	1,85.21	-	5,89.58	7,74.79	
			1,42,12.80			**1,42,12.80** (क)	

(क) *राज्य सरकार द्वारा सूचित पिछले गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण 31 मार्च 2013 तक ₹ 1,67.00 करोड़ की राशि को प्रोफॉर्मा घटाकर शेष कर दिया गया है।*

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	वर्ष 2020-21• के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
							(₹ करोड़ में)
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
	(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-						
4851-	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	1,35.91	1,35.91	-	1,56.14	2,92.05	
			18,18.59			**18,18.59**	
4852-	लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	2.68	2.68	-	5.40	8.08	
			2,09.24			**2,09.24**	
4853-	अलौह खनन एवं धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	2.00	2.00	-	2.22	4.22	
			77.70			**77.70**	
4854-	सीमेन्ट और अधात्विक खनिज उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	
			0.24			**0.24**	
4858-	अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	
			1.25			**1.25**	
4860-	उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	
			31.34			**31.34**	

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	वर्ष 2020-21• के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
							(₹ करोड़ में)
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
	(छ) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)						
4875-	अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	
			0.06			**0.06**	
4885-	उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	
			42.73			**42.73**	
	कुल-ग(छ)-उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा	1,40.59	1,40.59	-	1,63.76	3,04.35	
			21,81.15			**21,81.15**	
	(ज) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)						
5054-	सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	6,02.30	6,02.30	-	25,43.13	31,45.43	
			1,37,08.19			**1,37,08.19**	
5055-	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	58.05	58.05	-	84.73	1,42.78	
			2,63.25			**2,63.25**	
5056-	अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	
			27.74			**27.74**	
	कुल-ग(छ)- परिवहन का पूँजीगत लेखा	6,60.35	6,60.35	-	26,27.86	32,88.21	
			1,39,99.18			**1,39,99.18**	

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	वर्ष 2020-21• के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
							(₹ करोड़ में)
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ज) संचार का पूँजीगत लेखा-							
5275-	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	
			0.02			0.02	
	कुल-ग(ज)-संचार का पूँजीगत लेखा	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
			0.02			**0.02**	
(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का पूँजीगत लेखा-							
5425-	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत	2.78	2.78	-	24.23	27.01	
			1,59.34			1,59.34	
	कुल-ग(झ)- विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का पूँजीगत लेखा	2.78	2.78	-	24.23	27.01	
			1,59.34			**1,59.34**	
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-							
5452-	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	1,03.38	1,03.38	-	76.57	1,79.95	
			22,84.78			**22,84.78**	
5465-	सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थानों में निवेश	-	-	-	-	-	
			6,08.19			**6,08.19** (ख)	

(ख) *राज्य सरकार ने पूँजीगत विनिवेश के कारण ₹ 28.10 करोड़ की राशि 31 मार्च 2010 को प्रोफॉर्मा घटाकर शेष कर दी गई है।*

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	वर्ष 2020-21• के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
							(₹ करोड़ में)
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		7,48.39	7,48.39	-	8,46.68	15,95.07	
			54,96.23			54,96.23	
कुल-ग(ञ)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा		8,51.77	8,51.77	-	9,23.25	17,75.02	
			83,89.20			**83,89.20**	
कुल-ग-आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा		31,95.70	31,95.70	-	72,01.57	1,03,97.27	
			6,61,11.55			**6,61,11.55**	
कुल योग		54,22.20	54,22.20	-	1,04,70.38	1,58,92.58	
			10,30,00.76			**10,30,00.76** (ग)	

(ग) पूँजीगत विनिवेश और पिछले गलत वर्गीकरण के कारण वर्ष के अंत तक खर्च से प्रोफॉर्मा घटाकर क्रमशः ₹ 28.10 करोड़ की राशि और ₹ 1,67.00 करोड़ की राशि को कम कर दिया गया है। इस विवरण हेतु कृपया मुख्य शीर्ष 5465 और 4801 के अंतर्गत पाद टिप्पणी (क) और (ख) का भी संदर्भ लें।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(झ) 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तथा वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न समुद्यमों की शेयर पूँजी में सरकार का कुल निवेश क्रमशः ₹ 81.12 करोड़ और ₹ 81.27 करोड़ था। 30 अक्टूबर 2019 तक ₹ 46,17.16 करोड़ का निवेश भी था जिसे अभी तक नये आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तथा वर्ष 2020-21 के दौरान सरकारी लेखे में कोई लाभांश जमा नहीं किया था। कृपया पैरा 2 (x) (क), (ख), (ग) और "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I के अनुलग्नक-च और छ का संदर्भ लें।

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(समाप्त)

नवीनतम प्रोफॉर्मा लेखा द्वारा प्रकटित लेखा के पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के कामकाज के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:-

प्रोफॉर्मा लेखे- प्रत्येक उपक्रम के सामने दर्शायी गयी अवधियों के लिए विभागीय अधिकारियों से अभी तक (अगस्त 2021) नीचे उल्लिखित उपक्रमों के अंतर्गत प्रोफॉर्मा लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं-

लेखा का मुख्य शीर्ष		उपक्रम का नाम	अवधि जिसके लिए देय है
4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	1	सरकारी मुद्रणालय, श्रीनगर	1968-69 और (अगस्त 2021) उसके बाद
	2	सरकारी मुद्रणालय, जम्मू	1968-69 और (अगस्त 2021) उसके बाद
4408- खाद्य, भण्डार और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय	1	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग, श्रीनगर	1975-76 (परिशोधित लेखा) और (अगस्त 2021) उसके बाद
	2	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग, जम्मू	1973-74 से 1997-98 और 1999-2000 और उसके बाद। तथापि, वर्ष 1998-99 के प्रोफॉर्मा लेखाओं को वर्ष 2002-03 (अगस्त 2021) के दौरान अंतिम रूप दिया गया है।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2020 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष 2020-21* के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)		कुल देयताओं* के प्रतिशत के रूप में
						राशि	*प्रतिशत*	
क लोक ऋण-								
								(₹ करोड़ में)
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण[1]	35,56.94	-	4,04,50.24	3,34,44.98	1,05,62.20			
	4,54,29.09				**4,54,29.09**			
बाजार ऋण	34,15.92	-	93,28.00	33,08.70	94,35.22			
	3,42,90.80				**3,42,90.80**			
डब्ल्यूएमए[2]	2,95.18	-	3,08,00.28	2,93,10.92	17,84.54			
	6,92.11				**6,92.11**			
बंधपत्र	-	-	-	-	-			
	35,37.55				**35,37.55**			
वित्तीय संस्थानों से ऋण	62.50	-	3,21.96	4,76.71	(-)92.25			
	35,38.31				**35,38.31**			
राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	(-)2,16.66	-	-	3,48.65	(-)5,65.31			
	33,70.32				**33,70.32**			

** वर्ष 2019-20 हेतु केवल पाँच महीने के लेखा के कारण पूरे विवरण सं. 6 में वृद्धि/ कमी और प्रतिशत लागू नहीं है।*

[1] *ब्यौरे विवरण सं. 17 खण्ड-II में दिये गये हैं।*

[2] *डब्ल्यूएमए: अर्थोपाय अग्रिम।*

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

उधारों की प्रकृति	**1 अप्रैल 2020 को शेष**	**यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान**	**31 मार्च 2021 को शेष**	**वर्ष 2020-21* के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)**		**कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में**
						राशि	***प्रतिशत***	
क लोक ऋण-(समाप्त)								
								(₹ करोड़ में)
6004 केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-	(-)58.91	-	22,82.69	1,18.34	21,05.44			
	12,37.13				**12,37.13**			
गैर-नियोजित ऋण	-	-	-	-	-			
	96.29				**96.29**			
आयोजना योजनाओं हेतु राज्य/ संघ शासित क्षेत्र हेतु ऋण	(-)58.47	-	-	1,17.34	(-)1,75.81			
	10,55.02				**10,55.02**			
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-	-	-	-	-			
	-				-			
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-	-	-	-	-			
	-				-			
अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-	*
	47.04				**47.04**			
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-			
विधानमण्डल वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र हेतु अन्य ऋण	(-)0.44	-	22,82.69	1.00	22,81.25			
	38.78				**38.78**			
कुल लोक ऋण	34,98.03	-	4,27,32.93	3,35,63.32	1,26,67.64			
	4,66,66.22				**4,66,66.22**			

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण -(जारी)

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण -(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2020 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष 2020-21* के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)		कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में
						राशि	*प्रतिशत*	
								(₹ करोड़ में)
ख अन्य देयताएं-								
लोक लेखा-								
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	10,41.80	-	59,68.29	48,24.12	21,85.97			
	2,71,61.62				**2,71,61.62**			
ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	2,31.47	-	7,13.77	1,64.35	7,80.89			
	12,60.62				**12,60.62**			
ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	(-)44.52	-	76.9	42.14	(-)9.76			
	15,33.95				**15,33.95**			
ब्याज वहन करने वाली जमाएं	3,12.36		12,17.85	10,55.47	4,74.74			
	53.67				**53.67**			
ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं	4,61.21	-	22,09.44	17,89.86	8,80.79			
	68,60.56				**68,60.56**			
कुल अन्य देयताएं	20,02.32	-	1,01,86.25	78,75.94	43,12.63			
	3,68,70.42				**3,68,70.42**			
कुल लोक ऋण और अन्य देयताएं	55,00.35	-	5,29,19.18	4,14,39.26	1,69,80.27 (क)			
	8,35,36.64				**8,35,36.64** (क)			

(क) *आँकड़े सरकार के पास मिलानाधीन (अगस्त 2021) हैं।*

परिशोधन व्यवस्थाओं, ऋण-सेवा इत्यादि के ब्योरे के लिए इस विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ पृष्ठ 34, 35 और 36 पर देखी जा सकती हैं।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण -(जारी)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1 **परिशोधन व्यवस्थाएं -**

सरकार ने भारत सरकार से लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए कोई परिशोधन व्यवस्था नहीं बनायी है।

2 **लघु बचत कोष से ऋण -**

डाकघरों में "लघु बचत योजनाओं" और "लोक भविष्य निधि" में संग्रहण में से ऋणों को राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच 3:1 के अनुपात में साझा किया जा रहा है। लघु बचत संग्रहणों से ऋण जारी करने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 में एक अलग निधि अर्थात् "राष्ट्रीय लघु बचत कोष" बनाया गया था। 30 अक्टूबर 2019 के अंत में तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित बकाया शेष ₹ 33,70.32 करोड़ था जिसे अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है और इसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित जम्मू एवं कश्मीर द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं की गयी थी, तथापि, सरकार ने अवधि के दौरान ₹ 3,48.65 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान किया।

3 **भारत सरकार से ऋण और अग्रिम:-**

विवरण संख्या 17 में ब्योरा दिया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार को चुकाने के लिए ₹ 1,82.42 करोड़ (मूलधन ₹ 1,18.34 करोड़ और ब्याज ₹ 64.08 करोड़) की राशि देय हो गई। ₹ 1,82.42 करोड़ की कुल राशि के प्रति, पूरी राशि (मूलधन ₹ 1,18.34 करोड़ और ब्याज ₹ 64.08 करोड़) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान सीधे वसूली के रूप में समायोजित की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2020-21 (31.03.2020 की समाप्ति) के अंत में केन्द्र सरकार से ऋणों पर कोई राशि अतिदेय नहीं थी।

4 **संघ शासित क्षेत्र सरकार का आंतरिक ऋण :- इसमें खुले बाजार से लिये गये दीर्घकालिक ऋण, स्वायत्त निकायों से सरकार द्वारा प्राप्त संसाधन अंतराल और ऋणों को पूरा करने के लिए अस्थायी प्रकार की उधारी सम्मिलित है।**

(i) खुला बाजार ऋण:- सरकार द्वारा खुले बाजार से लिये गये सभी ऋण जिनका चलन एक वर्ष से अधिक है, ऋण की इस श्रेणी के अंतर्गत समूहीकृत किये जाते हैं।

(ii) विभिन्न बकाया ऋणों का पूरा ब्योरा विवरण संख्या 17 और विवरण संख्या 17 के अनुलग्नक में दिया गया है।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण -(जारी)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(जारी)

(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

5 ऋण-सेवा-

ऋण और अन्य देयताओं पर ब्याज- 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तथा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य देयताएं और राजस्व से प्राप्त ब्याज प्रभारों की कुल निवल राशि निम्नानुसार थी:-

		2020-21 (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)*
				(₹ करोड़ में)
(i) वर्ष के अंत में सकल ऋण और अन्य बकाया देयताएं-				
(क) सार्वजनिक ऋण और लघ् बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि		1,48,53.61	45,39.83	
		7,38,27.84	**7,38,27.84**	
(ख) अन्य देयताएं		21,26.66	9,60.52	
		97,08.80	**97,08.80**	
		1,69,80.27	55,00.35	
	कुल (i)	**8,35,36.64**	**8,35,36.64**	
(ii) **सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज-**				
(क) लोक ऋण और लघ् बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि पर		61,93.18	25,05.41	
(ख) अन्य देयताओं पर		1,79.28	26.22	
	कुल (ii)	**63,72.46**	**25,31.63**	
(iii) **कटौती-**				
(क) सरकार दवारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		0.12	0.13	
(ख) रोकड़ शेषों के निवेश पर वसूला गया ब्याज		0.11	-	
	कुल (iii)	**0.23**	**0.13**	
(iv) **निवल ब्याज प्रभार**		**63,72.23**	**25,31.50**	

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण- (समाप्त)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(समाप्त)

5 ऋण-सेवा- (समाप्त)

ऋण और अन्य देयताओं पर ब्याज- 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तथा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य देयताएं और राजस्व से प्राप्त ब्याज प्रभारों की कुल निवल राशि निम्नानुसार थी:-

	2020-21 (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	**2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति)**	**वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)***
			(₹ करोड़ में)
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों हेतु सकल ब्याज {मद (ii)} का प्रतिशत	12.14	11.22	
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों हेतु सकल ब्याज {मद (iv)} का प्रतिशत	12.14	11.22	

इसके अलावा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों और अन्य से प्राप्त ब्याज जैसे कुल ₹ 17.63 करोड़ की कुछ अन्य प्राप्तियाँ और समायोजन भी थे। यदि इनकी भी कटौती की जाती है, तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 63,54.60 करोड़ होगा जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 12.11 प्रतिशत है।

वर्ष के दौरान सरकार को विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर लाभांश रूप में शून्य प्राप्त हुआ।

6 ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग

सरकार ने 2011-12 से ऋण शोधन निधि की स्थापना की और वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 55.63 करोड़ की राशि इस निधि में हस्तांतरित की गयी है।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण

अनुभाग:1 ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक शेषों को दर्शाते हैं)

क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	**01 अप्रैल 2020 को शेष**	**यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष**	**वर्ष के दौरान संवितरण**	**वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (क)**	**अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना**	**31 मार्च 2021 को शेष (2+4)-(5+6)**	**वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि/ कमी (7-2)**	**बकायों में ब्याज भुगतान**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								(₹ करोड़ में)
सामान्य सेवाएं-								
सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-	-	
सरकारी कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	
कुल- सामान्य सेवाएं	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
समाज सेवाएं-								
विश्वविद्यालय/ अकादमिक संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021) थी
पंचायती राज संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	
नगरपालिकाएं/ नगर परिषद/ नगर निगम	-	-	-	-	-	-	-	
	12.74	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
शहरी विकास प्राधिकरण	-					**12.74**		
	1.91	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
आवास बोर्ड	-					**1.91**		
	2.90	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
राज्य आवास निगम	-					**2.90**		
सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-	-	
सरकारी कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	

(1) *ब्योरे हेतु कृपया खण्ड II के विवरण संख्या 18 का संदर्भ लें।*

(क) बकायों में पुनर्भुगतान का ब्योरा सरकार से प्रतीक्षित (अगस्त 2021) है।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण- (जारी)

(i) ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक शेषों को दर्शाते हैं)

क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	**01 अप्रैल 2020 को शेष**	**यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष**	**वर्ष के दौरान संवितरण**	**वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (क)**	**अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना**	**31 मार्च 2021 को शेष (2+4)-(5+6)**	**वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि/ कमी (7-2)**	**बकायों में ब्याज भुगतान**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								(₹ करोड़ में)
सामान्य सेवाएं-								
सहकारी समितियाँ/ सहकारी निगम/ बैंक	-	-	-	-	-	-	-	
अन्य	(-)0.30	-	1	0.17	-	0.53	-	
	1,28.93					**1,28.93**		
कुल- समाज सेवाएं	(-)0.30	-	1.00	0.17	-	0.53	-	
	1,46.48					**1,46.48**		
आर्थिक सेवाएं-								
पंचायती राज संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021) थी
	0.01					**0.01**		
नगरपालिकाएं/ नगर परिषद/ नगर निगम	-	-	-	-	-	-	-	
	-					-		
शहरी विकास प्राधिकरण	-	-	-	-	-	-	-	
	-					-		
सांविधिक निगम	23.00	-	32.50	-	-	55.50	-	
	4,11.23					**4,11.23**		
सरकारी कंपनियाँ	13.26	-	28.14	1.27	-	40.13	-	
	4,95.80					**4,95.80**		

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण- (जारी)

(i) ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक शेषों को दर्शाते हैं)

क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	**01 अप्रैल 2020 को शेष**	**यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष**	**वर्ष के दौरान संवितरण**	**वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (क)**	**अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना**	**31 मार्च 2021 को शेष (2+4)-(5+6)**	**वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि/ कमी (7-2)**	**बकायों में ब्याज भुगतान**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
								(₹ करोड़ में)
आर्थिक सेवाएं-								
सहकारी समितियाँ/ सहकारी निगम/ बैंक	-	-	-	-	-	-	-	
	9.77					**9.77**		सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021) थी
अन्य	(-)0.01	-	-	0.02	-	(-)0.03	-	
	6,55.58					**6,55.58**		
कुल- आर्थिक सेवाएं	36.25	-	60.64	1.29	-	95.6	-	
	15,72.39					**15,72.39**		
सरकारी सेवक								
सरकारी सेवक	(-)0.15	-	-	0.47	-	(-)0.62	-	
	21.57					**21.57**		
कुल- सरकारी सेवक	(-)0.15	-	-	0.47	-	(-)0.62	-	
	21.57					**21.57**		
कुल- ऋण और अग्रिम	35.80	-	61.64	1.93	-	95.51	**-**	
	17,40.44					**17,40.44** ($)		

$ कृपया मुख्य शीर्ष-6801 विवरण संख्या 18 खण्ड-II के नीचे की पाद टिप्पणी 'ए' का संदर्भ लें। मुख्य शीर्ष-4801 विवरण संख्या 16 खण्ड-II के नीचे पाद टिप्पणी 'ए' का भी संदर्भ लें।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण- (जारी)

(i) ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार- (समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक शेषों को दर्शाते हैं)

क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	**01 अप्रैल 2020 को शेष**	**यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष**	**वर्ष के दौरान संवितरण**	**वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (क)**	**अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना**	**31 मार्च 2021 को शेष (2+4)-(5+6)**	**वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि/ कमी (7-2)**	**बकायों में ब्याज भुगतान**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
								(₹ करोड़ में)

निम्नलिखित ऋण के मामले "शाश्वत रूप से ऋण" के रूप में संस्वीकृत किये गये हैं

क्र. सं.	**ऋणी अधिष्ठान**	**संस्वीकृति का वर्ष**	**संस्वीकृति आदेश सं.**	**राशि**	**ब्याज दर**

सरकार से आँकड़े/ सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021)।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग-2: क्षेत्र-वार ऋणों और अग्रिमों का सारांश

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा का शीर्ष	01 अप्रैल 2020 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2021 को शेष (2+4)-(5+6)	2020-21 के दौरान वृद्धि/ कमी (7-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)
								(₹ करोड़ में)
च - ऋण और अग्रिम-[1]								
ख- समाज सेवा हेतु ऋण-								
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	(-)0.05	-	-	0.09		(-)0.14		
	5.46					**5.46**		
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(-)0.01	-	-	0.03		(-)0.04		
	1.93					**1.93**		
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	^	-	-	0.01	-	(-)0.01	-	
	35.30					**35.30**		
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	
	0.13					**0.13**		
समाज कल्याण और पोषण	(-)0.24	-	1.00	0.04		0.72		
	1,03.53					**1,03.53**		
अन्य समाज सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	
	0.13					**0.13**		
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-								
कृषि और संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण	(-)0.01	-	-	0.02	-	(-)0.03		
	40.65					**40.65**		

[1] *ब्योरे के लिए विस्तृत विवरण संख्या 18 खण्ड-II के अनुभाग 1 का संदर्भ लें।*

^ *नगण्य पूरे विवरण में ₹ 0.01 करोड़ से कम।*

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग-2: क्षेत्र-वार ऋणों और अग्रिमों का सारांश-(समाप्त)

(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा का शीर्ष	**01 अप्रैल 2020 को शेष**	**यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष**	**वर्ष के दौरान संवितरण**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना**	**31 मार्च 2021 को शेष (2+4)-(5+6)**	**2020-21 के दौरान वृद्धि/ कमी (7-2)**	**बकायों में ब्याज भुगतान**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(7)**	**(8)**
								(₹ करोड़ में)
च - ऋण और अग्रिम-(समाप्त)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(समाप्त)								
ग्रामीण विकास हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	
	0.05					**0.05**		
विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	
	1.43					**1.43**		
ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	
	85.05					**85.05**		
उद्योग और खनिजों हेतु ऋण	13.26	-	28.14	1.27	-	40.13		
	7,99.63					**7,99.63**		
परिवहन	23.00	-	32.50	-	-	55.50		
	6,10.62					**6,10.62**		
सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	
	34.96					**34.96**		
सरकारी सेवक	(-)0.15	-	-	0.47	-	(-)0.62		
	21.57					**21.57**		
कुल	35.80	-	61.64	1.93	-	95.51		
	17,40.44					**17,40.44**		

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग: 3 ऋणों और अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार					
ऋणी-अधिष्ठान	**31 मार्च 2021 को बकायों की राशि**			**पूर्व अवधि जिससे बकाया संबंधित है**	**31 मार्च 2021 को अधिष्ठान के प्रति कुल बकाया ऋण**
	मूलधन	**ब्याज**	**कुल**		

(₹ करोड़ में)

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021)

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों का विवरण-(समाप्त)

अनुभाग: 3 ऋणदाता अधिष्ठान से बकायों में चुकौती का सारांश-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

(क) कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित ब्योरेवार ऋण लेखे:- सरकारी कर्मचारियों को दिये गये ऋणों के संबंध में, जिनके विस्तृत लेखे लेखा कार्यालय में रखे जाते हैं, 2020-21 (31 मार्च 2021 की समाप्ति) के अंत में कुल मूलधन ₹ 11.54 करोड़ के रूप में बकाया था, जैसा कि नीचे वर्णित है।

क्र. सं.	**लेखा शीर्ष**	**31.03.2021 को बकाया (₹ करोड़ में)**	
		मूलधन	**ब्याज**
1	7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि		
	201- गृह निर्माण अग्रिम (क)	-	-
		10.51	**0.39**
	202- मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	-	-
		1.03	**0.04**
	कुल	**-**	**-**
		11.54	**0.43**

(क) *हालांकि गृह निर्माण अग्रिमों के ब्योरेवार लेखे प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में रखे जाते हैं, कम/ मध्यम आय समूह आवास योजनाओं हेतु ऋणों के ब्योरेवार लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं।*

8. सरकार के निवेशों का विवरण

वर्ष 2020-21 हेतु विभिन्न समुद्यमों की शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**समुद्यम का नाम** (क)	**2020-21 (31-03-2020 की समाप्ति)**			**2019-20 (31-03-2020 की समाप्ति)**		
		समुद्यमों की संख्या	**31 मार्च 2021 के अंत में निवेश**	**2020-21 के दौरान प्राप्त ब्याज/ लाभांश**	**समुद्यमों के नाम**	**31 मार्च 2020 के अंत में निवेश**	**31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान के दौरान प्राप्त ब्याज/ लाभांश**
1	सांविधिक निगम	3	1,38.78	शून्य		57.51	शून्य
			3,74.34		3	**3,74.34**	
2	ग्रामीण बैंक	2	2.35	शून्य		2.35	शून्य
			45.82		2	**45.82**	
3	सरकारी कंपनियाँ	38	17.91 (ख)	शून्य		17.91	शून्य
			41,48.83 (ग)		37	**29,59.71**	
4	अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ और साझेदारी	2	-	शून्य		-	शून्य
			0.34		2	**0.34**	
5	सहकारी बैंक और स्थानीय निकाय	8	3.35 (घ)	शून्य		3.35	शून्य
			47.83 (घ)		8	**47.83**	
	कुल	53	1,62.39 (ङ)	शून्य		81.12	शून्य
			46,17.16 (च)		52	**34,28.04**	

(क) *कृपया ब्योरे हेतु कृपया खण्ड-II में विवरण सं 19 का संदर्भ लें।*

(ख) *यद्यपि, वर्ष 2020-21 के दौरान दो पीएसयू में ₹ 2.00 करोड़ का निवेश किया है, तथापि, जेएण्डके मिनरल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत (अगस्त 2021) 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि हेतु संशोधित आँकड़े के कारण ₹ 2.00 करोड़ कम भी किये गये हैं।*

(ग) *30.10.2019 को समाप्त अवधि हेतु (पुनर्गठन पूर्व) संबंधित पीएसयू द्वारा प्रस्तुत संशोधित आँकड़ों के कारण ₹ 11,89.12 करोड़ की बढ़ोतरी हुयी जैसाकि उक्त सूचना संबंधित पीएसयू से प्रतीक्षित (अगस्त 2021) थी।*

(घ) *पंजीयक, सहकारी सोसाइटियाँ ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत (अगस्त 2021) नहीं की है, तथापि, संबंधित पीएसयू द्वारा प्रस्तुत पिछले आँकड़ों को 2020-21 के लेखाओं में प्रतिधारित किया गया है।*

(ङ) *यद्यपि, वर्ष 2020-21 के दौरान तीन पीएसयू में ₹ 83.27 करोड़ का निवेश किया है, तथापि, जेएण्डके मिनरल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत (अगस्त 2021) 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि हेतु संशोधित आँकड़े के कारण ₹ 2.00 करोड़ कम भी किये गये हैं।*

(च) *आँकड़े सरकार एवं संबंधित पीएसयू के अंतर्गत मिलानाधीन (अगस्त 2021) हैं।*

(छ) *30.10.2019 को समाप्त अवधि हेतु (पुनर्गठन पूर्व) संबंधित पीएसयू द्वारा प्रस्तुत संशोधित आँकड़ों के कारण ₹ 11,89.12 करोड़ की बढ़ोतरी हुयी जैसाकि उक्त सूचना संबंधित पीएसयू से प्रतीक्षित (अगस्त 2021) थी।*

टिप्पणी *कृपया पैरा 2 (x) (क), (ख), (ग) और "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I के अनुलग्नक-च और छ का संदर्भ लें।*

9. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण

क. वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों द्वारा उठाये गये एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियाँ तथा विभिन्न क्षेत्रकों में 31 मार्च 2021 को बकाया प्रत्याभूतित राशियाँ नीचे दी गयी हैं:-

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्रक (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में दी गयी है)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूति की अधिकतम राशि		01 अपैल 2020 के आरंभ में बकाया		वर्ष के दौरान अतिरिक्त		वर्ष के दौरान लोप		वर्ष के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2021 के अंत में बकाया (क)		प्रत्याभूति कमीशन या शुल्क (ख)		अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	
1	विद्युत (3)*	1,25,64.18	-	13,25.49	-	2,14.22	-	-	-	-	-	15,39.71	-	-	-	-
		6,53.70		**2,29.31**								**2,29.31**				
2	सहकारी (6)*	-	-	0.58	-		-		-	-	-	0.58	-	-	-	-
		1,02.16		**34.79**								**34.79**				
3	राज्य वित्तीय निगम (1)*	-	-	-	-	-	-	(-)4.13	-	-	-	(-)4.13	-	-	-	-
		50.00		**45.03**								**45.03**				
4	अन्य संस्थान (7)*	-	-	(-)1.53	1.65	-	-	(-)48.56	-	-	-	(-)50.09	1.65	-	-	-
		1,03.08		**1,42.94**	**1.65**							**1,42.94**	**-**			
5	कुल (17)*	1,25,64.18	-	13,24.54		2,14.22	-	(-)52.69	-	-	-	14,86.07 (ग)	-	-	-	-
		9,08.94		**4,52.07**	**1.65**							**4,52.07**	**1.65**			

** कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े सस्थानों की संख्या को इंगित करते हैं।*

(क) संघ शासित क्षेत्र बजट 2021-22 में दर्शाये गये 31 मार्च 2021 की समाप्ति पर बकाया प्रत्याभूतियों की राशि विवरण में दर्शायी गयी राशि से भिन्न है। मामला संघ शासित क्षेत्र सरकार सहित संबंधित एजेन्सियों के साथ पत्राचाराधीन है, विवरण प्रतीक्षित (अगस्त 20201 है।

(ख) वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा कोई कमीशन/ शुल्क प्राप्त नहीं किया था।

(ग) कृपया ब्यौरे के लिए खण्ड-II विवरण संख्या 20 का सन्दर्भ लें।

10. सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण

(i) रोकड़ में प्रदत्त सहायता-अनुदान

अनुदानग्राही का नाम/ श्रेणी	अनुदान सहायता के रूप में निर्मोचित कुल निधियाँ			कॉलम (नंबर 2) # में दर्शायी गयी कुल निर्गत निधियों में से पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आबंटित निधियाँ		
	2020-21			2020-21		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल
1	2			3		
						(₹ करोड़ में)
1 शहरी स्थानीय निकाय-						
(i) नगर निगम	-	-	-	-	-	-
(ii) नगर पालिकायें/ नगर परिषद	5,02.15	-	5,02.15	-	-	-
(iii) अन्य	3,99.37	-	3,99.37	-	-	-
2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम -						
(i) सरकारी कंपनियाँ	28.80	-	28.80	-	-	-
(ii) सांविधिक निगम	27,59.98	-	27,59.98	-	-	-
3 स्वायत्त निकाय-						
(i) विश्वविद्यालय	9,27.64		9,27.64	-	-	-
(ii) विकास प्राधिकरण	68.43	-	68.43	-	-	-
(iii) सहकारी संस्थान	1.25	-	1.25	-	-	-
(iv) अन्य	1,62.58	12,06.08	13,68.66	-	-	-
4 गैर-सरकारी संगठन	1.73	-	1.73	-	-	-
5 अन्य	3,18.35	1,55.50	4,73.85	-	-	-
कुल	**51,70.28**	**13,61.58**	**65,31.86** $	**-**	**-**	**-**

 # संघ शासित क्षेत्र सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021) है।

$ पूंजीगत व्यय से प्राप्त ₹ 61.59 करोड़ शामिल हैं। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियां" खण्ड-I के अनुलग्नक-ख का सदर्भ लें।

(ii) विभिन्न रूप से दिया गया सहायता अनुदान

विभिन्न रूप से दिये गये सहायता अनुदान के संबंध में संघ शासित क्षेत्र सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021) है।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण

विवरण	वास्तविक			वास्तविक		
	2020-21			31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020		
	प्रभारित	दत्तमत	कुल	प्रभारित	दत्तमत	कुल
						(₹ करोड़ में)
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	64,40.97	4,61,92.78	5,26,33.75	25,56.69	2,01,62.74	2,27,19.43
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-	1,04,70.38	1,04,70.38	-	54,22.20	54,22.20
लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, अंतर्राज्यीय निपटारा और आकस्मिकता निधि में अंतरण के अंतर्गत संवितरण (क)	3,35,63.32	86.64	3,36,49.96	1,31,49.34	38.14	1,31,87.48
कुल	**4,00,04.29**	**5,67,49.80**	**9,67,54.09**	**1,57,06.03**	**2,56,23.08**	**4,13,29.11**
ङ. लोक ऋण-						
यूटी सरकार का आंतरिक ऋण	3,34,44.98	-	3,34,44.98	1,30,90.43	-	1,30,90.43
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	1,18.34	-	1,18.34	58.91	-	58.91
च. ऋण और अग्रिम-						
सामान्य सेवाओं के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-
समाज सेवाओं के लिए ऋण	-	1.00	1.00	-	-	-
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	-	60.64	60.64	-	38.14	38.14
सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि	-	-	-	-	-	-
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-

(क) *खण्ड-II के विवरण संख्या 17 और 18 में विस्तृत लेखा दिया गया है।*

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण-(समाप्त)

विवरण	वास्तविक					
	2020-21			31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020		
	प्रभारित	दत्तमत	कुल	प्रभारित	दत्तमत	कुल
						(₹ करोड़ में)
झ. अंतर्राज्यीय निपटारा-						
अंतर्राज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-
ज. आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण-						
आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण	-	25.00	25.00	-	-	-

(i) 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तथा 2020-21 के दौरान कुल व्यय के लिए दत्तमत व्यय और प्रभारित व्यय का प्रतिशत इस प्रकार था :-

	कुल व्यय का प्रतिशत	
वर्ष	प्रभारित	दत्तमत
2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)	38.00	62.00
2020-21	41.35	58.65

12. वर्ष 2020-21 (31 मार्च 2021 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2020	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2020-21	31 मार्च 2021 को
				(₹ करोड़ में)
पूँजीगत और अन्य व्यय-				
पूँजीगत व्यय-				
लोक निर्माण	4,47.21	-	5,31.57	9,78.78
	61,53.33			**61,53.33**
अन्य सामान्य सेवाएं	2,86.36	-	2,44.67	5,31.03
	16,63.49			**16,63.49**
समाज सेवाएं-				
शिक्षा खेल, कला और संस्कृति	2,46.83	-	5,97.74	8,44.57
	69,82.53			**69,82.53**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,96.24	-	5,29.85	9,26.09
	49,14.19			**49,14.19**
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	7,16.51	-	8,48.69	15,65.20
	1,33,15.73			**1,33,15.73**
सूचना एवं प्रसारण	0.35	-	0.44	0.79
	33.49			**33.49**
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	16.37	-	31.28	47.65
	3,05.38			**3,05.38**
समाज कल्याण और पोषण	1,10.78	-	4,68.50	5,79.28
	31,48.46			**31,48.46**
अन्य समाज सेवाएं	5.85	-	16.07	21.92
	3,72.61			**3,72.61**
कुल- समाज सेवाएं	14,92.93	-	24,92.57	39,85.50
	2,90,72.39			**2,90,72.39**

12. वर्ष 2020-21 (31 मार्च 2021 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2020	**यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि**	**वर्ष के दौरान 2020-21**	**31 मार्च 2021 को**
				(₹ करोड़ में)
पूँजीगत और अन्य व्यय-				
पूँजीगत व्यय-				
आर्थिक सेवाएं-				
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	5,29.32	-	7,02.31	12,31.63
	78,85.33			**78,85.33**
ग्रामीण विकास	6,84.14	-	20,22.86	27,07.00
	1,02,59.36			**1,02,59.36**
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-
	36,88.82			**36,88.82**
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,41.54	-	1,47.72	2,89.26
	53,36.35			**53,36.35**
ऊर्जा	1,85.21	-	5,89.58	7,74.79
	1,42,12.80			**1,42,12.80** (क)
उद्योग और खनिज	1,40.59	-	1,63.76	3,04.35
	21,81.15			**21,81.15**
परिवहन	6,60.35	-	26,27.86	32,88.21
	1,39,99.18			**1,39,99.18**
संचार	-	-	-	-
	0.02			**0.02**
विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण	2.78	-	24.23	27.01
	1,59.34			**1,59.34**

(क) कृपया खण्ड-I के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्षों 4801 तथा 5465 के नीचे पाद टिप्पणी (क) और (ख) का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

12. वर्ष 2020-21 (31 मार्च 2021 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2020	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2020-21	31 मार्च 2021 को
				(₹ करोड़ में)
पूँजीगत और अन्य व्यय-				
पूँजीगत व्यय-				
आर्थिक सेवाएं-				
सामान्य आर्थिक सेवाएं	8,51.77	-	9,23.25	17,75.02
	83,89.20			**83,89.20** (क)
कुल- आर्थिक सेवाएं	31,95.70	-	72,01.57	1,03,97.27
	6,61,11.55			**6,61,11.55** (क)
कुल-पूँजीगत सेवाएं	54,22.20	-	1,04,70.38	1,58,92.58
	10,30,00.76			**10,30,00.76** (क)
ऋण और अग्रिम-				
समाज सेवाएं-				
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	(-)0.05	-	(-)0.09	(-)0.14
	5.46			**5.46**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	(-)0.01	-	(-)0.03	(-)0.04
	1.93			**1.93**
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	*	-	(-)0.01	(-)0.01
	35.30			**35.30**
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-
	0.13			**0.13**

(क) कृपया खण्ड-I के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्षों 4801 तथा 5465 के नीचे पाद टिप्पणी (क) और (ख) का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

12. वर्ष 2020-21 (31 मार्च 2021 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2020	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2020-21	31 मार्च 2021 को
				(₹ करोड़ में)
ऋण और अग्रिम-(समाप्त)				
समाज सेवाएं-(समाप्त)				
समाज कल्याण और पोषण	(-)0.24	-	0.96	0.72
	1,03.53			**1,03.53**
अन्य समाज सेवाएं	-	-	-	-
	0.13			**0.13**
कुल- समाज सेवाएं	(-)0.30	-	0.83	0.53
	1,46.48			**1,46.48**
आर्थिक सेवाएं-				
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	(-)0.01	-	(-)0.02	(-)0.03
	40.65			**40.65**
ग्रामीण विकास	-	-	-	-
	0.05			**0.05**
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-
	1.43			**1.43**
ऊर्जा	-	-	-	-
	85.05			**85.05** (ख)
उद्योग और खनिज	13.26	-	26.87	40.13
	7,99.63			**7,99.63**
परिवहन	23.00	-	32.50	55.50
	6,10.62			**6,10.62**

* नगण्य

(ख) *कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 16 के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।*

12. वर्ष 2020-21 (31 मार्च 2021 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2020	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2020-21	31 मार्च 2021 को
				(₹ करोड़ में)
ऋण और अग्रिम-(समाप्त)				
आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)				
सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	-	-	-
	34.96			**34.96**
कुल- आर्थिक सेवाएं	36.25	-	59.35	95.60
	15,72.39			**15,72.39**
सरकारी सेवकों को ऋण	(-)0.15	-	(-)0.47	(-)0.62
	21.57			**21.57**
कुल-ऋण और अग्रिम	35.80	-	59.71	95.51 (ख)
	17,40.44			**17,40.44**
आकस्मिकता निधि में अंतरण	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल-पूँजीगत और अन्य व्यय	54,58.00	-	1,05,30.09	1,59,88.09
	10,47,41.20			**10,47,41.20**
कटौती				
आकस्मिकता निधि से अंशदान	-	-	-	-
विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान	-	-	-	-
	28.10			**28.10**
विकास निधियों, आरक्षित निधियों इत्यादि से अंशदान	-	-	-	-
निवल- पूँजीगत और अन्य व्यय	54,58.00	-	1,05,30.09	1,59,88.09
	10,47,13.10			**10,47,13.10**

(ख) कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 16 के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

12. वर्ष 2020-21 (31 मार्च 2021 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2020	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2020-21	31 मार्च 2021 को
				(₹ करोड़ में)
निधियों के प्रधान स्रोत-				
2020-21 हेतु राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-)			**(-)1,38.27**	
जोड़-सेवानिवृत्ति/ विनिवेश के कारण समायोजन	-	-	**-**	-
	(-)28.10			**(-)28.10**
ऋण-				
राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	35,56.94	-	70,05.26	1,05,62.20
	4,54,29.09			**4,54,29.09**
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	(-)58.91	-	21,64.35	21,05.44
	12,37.13			**12,37.13**
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	10,41.80	-	11,44.17	21,85.97
	2,71,61.62			**2,71,61.62**
कुल- ऋण	45,39.83	-	1,03,13.78	1,48,53.61
	7,38,27.84			**7,38,27.84**
अन्य देयताएं-				
आकस्मिकता निधि	-	-	25.00	25.00
	1.00			**1.00**
आरक्षित निधियाँ	1,86.95	-	5,84.18	7,71.13
	28,05.43			**28,05.43**
जमाएं एवं अग्रिम	7,73.57	-	5,81.96	13,55.53
	69,01.54			**69,01.54**

12. वर्ष 2020-21 (31 मार्च 2021 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2020	**यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि**	**वर्ष के दौरान 2020-21**	**31 मार्च 2021 को**
				(₹ करोड़ में)
निधियों के प्रधान स्रोत-				
अन्य देयताएं-				
उचंत और विविध (सरकारी लेखाओं और रोकड़ शेष निवेश लेखा में संवृत राशि के अलावा)	2,03.71	-	(-)82.56	1,21.15
	(-)3,49.24			**(-)3,49.24**
प्रेषण	13,98.31	-	(-)7,63.81	6,34.50
	28,47.49			**28,47.49**
कुल- अन्य देयताएं	25,62.54	-	3,44.77	29,07.31
	1,22,06.22			**1,22,06.22**
कुल- ऋण और अन्य देयताएं	71,02.37	-	1,06,58.55	1,77,60.92
	8,60,34.06			**8,60,34.06**
कटौती- रोकड़ शेष	14,82.28	-	(-)34.59	14,47.69
	(-)4,41.95			**(-)4,41.95**
कटौती- निवेश	-	-	-	-
	3,94.78			**3,94.78**
जोड़- 01-04.2020 से 31-03-2021 तक की अवधि हेतु सरकारी लेखा में संवृत राशि	-	-	0.22	-
	-			**-**
निधियों का निवल प्रावधान	56,20.09	-	1,05,55.09	1,63,13.23 $
	8,60,53.13			**8,60,53.13**

$ राजस्व घाटे ₹ 1,38.27 करोड़ से ₹ 1,61,50.18 करोड़ तक भिन्न है।

(₹ 1,38.27 करोड़ राजस्व घाटा)। 31 मार्च 2021 के अंत तक की अवधि हेतु पूँजीगत और अन्य व्यय के मध्य ₹ 3,00.14 करोड़ का अंतर भी था और निधियों का निवल प्रावधान इसलिए, संचयी राजस्व घाटा और ₹ 24.78 करोड़ संघ शासित क्षेत्र सरकार लेखा में संवृत राशि (₹ 0.22 करोड़ का क्रेडिट) को दर्शाता है।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश

क. निम्नलिखित 31 मार्च 2021 तक शेषों का सारांश है

(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

नामे शेष (₹ करोड़ में)	सामान्य लेखा का क्षेत्रक	लेखा का नाम	खाते शेष (₹ करोड़ में)
		समेकित निधि	
8,43,40.79 [1]	क से घ और, थ का भाग (एमएच 8680 मात्र)	सरकारी लेखा	
1,62,17.32 [1]			
	ङ	लोक ऋण	1,26,67.64
			4,66,66.22
95.51	च	ऋण और अग्रिम	
17,40.44 ($)			
		आकस्मिकता निधि	
		आकस्मिकता निधि	25.00
			1.00
		लोक लेखा	
	झ	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	21,85.97
			2,71,61.62
	ञ	**आरक्षित निधियाँ**	
		(i) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	
		सकल शेष	7,80.89
			12,71.48
-		निवेश	
10.86 (^)			
		(ii) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	
		सकल शेष	(-)9.76
			15,33.95
		निवेश	
	त	**जमाएं और अग्रिम**	
		(i) ब्याज वहन करने वाले जमा	4,74.74
			53.67
		(ii) ब्याज वहन न करने वाले जमा	8,80.79
			68,60.56
-		(iii) अग्रिम	
12.69			

[1] *कृपया खण्ड-I के पृष्ठ संख्या 56 को यह समझने के लिए देखें की ये आँकड़े किस प्रकार आये हैं।*

$ *कृपया मुख्य शीर्ष 4801 और 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का क्रमशः खण्ड-I के विवरण संख्या 5 के और खण्ड-II के विवरण संख्या 18 का संदर्भ लें।*

^ *निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (अगस्त 2021) है।*

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश-(जारी)

क. निम्नलिखित 31 मार्च 2021 तक शेषों का सारांश है			
(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)			
नामे शेष	**सामान्य लेखा का क्षेत्रक**	**लेखा का नाम**	**खाते शेष**
(₹ करोड़ में)			**(₹ करोड़ में)**
	थ	**उचंत और विविध**	
-		निवेश	
3,83.92 (^)			
-		अन्य मद (निवल)	1,21.15
3,49.24			
	द	**प्रेषण**	6,34.50
			28,47.49
14,47.69	ध	**रोकड़ शेष**	
(-)4,41.95 (*)			
1,77,60.92			1,77,60.92
8,63,95.99		**कुल**	**8,63,95.99**

^ निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित है (अगस्त 2021)।

** जैसा कि रिज़र्व बैंक में जमा राशि के संबंध में जो कि सरकार के रोकड़ शेष का घटक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताये गये आँकड़ों और लेखाओं में प्रतिबिम्बित आँकड़ों में भिन्नता थी। कृपया पृष्ठ संख्या 7 के विवरण संख्या 2 के अनुलग्नक के अंतर्गत '@' पाद टिप्पणी का संदर्भ लें।*

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश-(समाप्त)

(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

ख सरकारी लेखा: सरकारी लेखे में अनुसरण की जाने वाली बहीखाता प्रणाली के अंतर्गत, सरकार के राजस्व, पूँजीगत और अन्य संव्यवहारों के अंतर्गत बुक की गयी राशि, जिसकी शेष राशि को लेखे में वर्ष-दर-वर्ष अग्रेषित नहीं किया जाता है, को एक एकल शीर्ष "सरकारी लेखा" में संवृत किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष ऐसे सभी संव्यवहारों के संचयी परिणाम को प्रदर्शित करता है।

इसके लिए लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाएं एवं अग्रिम, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखाओं के अलावा), प्रेषण और आकस्मिकता निधि इत्यादि के अंतर्गत शेष राशि जोड़ी जाती है और वर्ष के अंत (31 मार्च 2021) में नकद शेष को ज्ञात और प्रमाणित किया जाता है।

सारांश में अन्य शीर्षकों में सरकारी लेखाबही में सभी लेखा शीर्षों के अंतर्गत शेषों को ध्यान में रखा गया है जिसके संबंध में सरकार को प्राप्त धन का भुगतान करने की देयता है या भुगतान की गयी राशि की वसूली करने का दावा है और लेखाबही में प्रेषण संव्यवहारों के समायोजन के लिए खोले गये लेखा शीर्ष भी हैं।

यह समझना चाहिए कि इन शेषों को सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें ना तो राज्य/यूटी की सभी भौतिक परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, संचार इत्यादि और न ही किसी प्रोद्भूत बकाया या किसी बकाया देयता को हिसाब में लिया जाता जिसको सरकार द्वारा अनुसरण किये जाने वाले लेखांकन के नकद आधार के अंतर्गत खाते में नहीं लाया जाता है।

वर्ष (31 मार्च 2021) के अंत में सरकारी लेखा के डेबिट पर प्राप्त हुयी निवल राशि निम्नलिखित है:

डेबिट		**विवरण**	**क्रेडिट**
(₹ करोड़ में)			**(₹ करोड़ में)**
8,43,40.79*	क.	30 अक्टूबर 2019 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	
55,84.29	क.	31 मार्च 2020 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	
-	ख.	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	5,24,95.48
-	ग.	प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-
5,26,33.75	घ.	व्यय शीष (राजस्व लेखा)	
1,04,70.38	ड.	व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-
-	च.	उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे)	0.22
-	छ.	31 मार्च 2021 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	1,62,17.32
25.00	छ.	आकस्मिकता निधि को अंतरण	-
6,87,13.42		**कुल**	6,87,13.42
8,43,40.79			**8,43,40.79**

(i) कई मामलों में, अंत: शेष में असंगत असमानता हैं जैसा कि प्राप्तियाँ, संवितरण और आकस्मिकता निधि और लोक लेखा (विवरण संख्या 21) के ब्योरे में बताया गया है और लेखा कार्यालय/ विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य के लिए अनुरक्षित पृथक

(ii) शेषों को उनके सत्यापन और स्वीकृति के लिए प्रति वर्ष संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है। बड़ी संख्या में मामलों में ऐसी स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

(iii) जिन मामलों में शेषों की स्वीकृतियों में विलंब हुआ है और जिनमें सम्मिलित राशियाँ महत्त्वपूर्ण हैं, का परिशिष्ट-VII क खण्ड-II में उल्लेख किया गया है।

(iv) शेषों के मिलान से संबंधित ऐसे मामले जिनमें विवरण/ दस्तावेज प्रतीक्षित हैं, का वर्णन परिशिष्ट-VII ख खण्ड-II में दिया गया है।

* *कृपया खण्ड-I के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्ष 4801 और खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का क्रमशः संदर्भ लें।*

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1 महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार:

i अधिष्ठान और लेखांकन अवधि:

ये लेखे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के संव्यवहारों को प्रस्तुत करते हैं। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं को 121 कोषागारों (20 जिला कोषागारों को सम्मिलित करते हुए) द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारंभिक लेखाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञापनों के आधार पर संकलित किया गया है। जैसा कि निर्माण एवं वन प्रभागों (पूर्व वर्षों में) हेतु जम्मू एवं कश्मीर सरकार पहले ही सिविल लेखांकन प्रणाली में बदल गयी थी, वर्ष 2020-21 के दौरान इन प्रभागों से कोई मासिक लेखे देय नहीं थे। वर्ष के अंत में किसी भी लेखे को बाहर नहीं रखा गया है।

ii लेखांकन का आधार:

कुछ आवधिक समायोजनों और बही समायोजनों **(अनुलग्नक-क)** के अपवाद के साथ, लेखे लेखावधि के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों और संवितरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे निवेशों इत्यादि को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया जाता है अर्थात् अधिग्रहण/ खरीद की वर्ष में मूल्य। भौतिक परिसंपत्तियों का अवमूल्यन या परिशोधन नहीं किया जाता है। भौतिक परिसंपत्तियों के जीवन काल के अंत में हुई हानियों का मूल्यांकन या पहचान नहीं की गई। लेखावधि के दौरान संवितरित सेवानिवृत्त लाभों को लेखाओं में दर्शाया गया है, परंतु संघ शासित क्षेत्र सरकार की भावी पेन्शन देयता अर्थात् अतीत के लिए सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान के प्रति देयता और उसके कर्मचारियों की वर्तमान सेवाओं को लेखाओं में शामिल नहीं किया गया है।

iii मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं:

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के लेखे भारतीय रुपये (₹) में अनुरक्षित किये जाते हैं।

iv लेखाओं का स्वरूप:

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 71 के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं को ऐसे स्वरूप में रखा जाता है जैसा कि उप राज्यपाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह प्राप्त करने के उपरांत, निर्धारित करते हैं। "स्वरूप" शब्द का एक व्यापक अर्थ है ताकि न केवल लेखाओं को रखने वाले व्यापक स्वरूप के निर्धारण को शामिल किया जा सके, बल्कि उचित लेखा शीर्षों के चयन का आधार भी हो सके जिसके अंतर्गत संव्यवहारों को वर्गीकृत किया जाना है।

v राजस्व या पूँजीगत के रूप में व्यय का वर्गीकरण:

राजस्व व्यय आवर्तक प्रकृति के होते हैं तथा राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त किये जाने हेतु अभिप्रेत होते हैं। पूँजीगत व्यय को, सामग्री और दीर्घकालिक प्रकृति की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने या दीर्घकालिक देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है।

2. समेकित निधि:

(i) वस्तु एवं सेवा कर:

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई 2017 से प्रवर्तित किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जीएसटी संग्रहण वर्ष 2019-20 (जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत गठित संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक) में ₹ 2,115.75 करोड़ की तुलना में ₹ 4,839.35 करोड़ था, जिसने ₹ 2,723.60 करोड़ (128.73 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की; इतनी विशाल वृद्धि वर्ष 2019-20 हेतु केवल पाँच महीनों के लेखाओं के कारण है। यह ₹ 3,311.00 करोड़ की राशि के आईजीएसटी के अग्रिम प्रभाजन को सम्मिलित करती है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र ने जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के कारण ₹ 2,171.22 करोड़ की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त की थी।

(ii) राजस्व और पूँजीगत व्यय के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण:

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने व्यय के प्रयोजन से निर्धारित राजस्व अनुभाग के बजाय ₹ 189.81 करोड़ का व्यय पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत गलत तरीके से बुक किया था। संघ शासित क्षेत्र सरकार के राजस्व/ राजकोषीय घाटे पर त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का प्रभाव पैरा (7) के अंतर्गत और **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

(iii) मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (सीसीओ)/ नियंत्रण अधिकारियों (सीओ) तथा प्रधान महालेखाकार (ले व हक) के मध्य प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान:

सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारियों/ नियंत्रण अधिकारियों को सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का प्रधान महालेखाकार (ले व हक), जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभिलेखबद्ध आँकड़ों के साथ मिलान करना आवश्यक होता है। वर्ष के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा ₹ 48,444.58 करोड़ (कुल प्राप्तियों ₹ 52,495.48 करोड़ का 92.28 प्रतिशत) की राशि की प्राप्तियों और ₹ 40,905.14 करोड़ (कुल व्यय ₹ 63,104.13 करोड़ का 64.82 प्रतिशत) की राशि के व्यय का मिलान किया गया था।

(iv) लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय और 800- अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत बुकिंग:

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/ 800-अन्य प्राप्तियाँ का संचालन तभी करना होता है जब लेखाओं में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शिता प्रदान करता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, लेखाओं के 48 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 4,677.34 करोड़ लेखाओं में लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय के अधीन वर्गीकृत किये गये थे जोकि कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (₹ 63,104.13 करोड़) का 7.41 प्रतिशत है। लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय के अंतर्गत बुक किये गये महत्त्वपूर्ण व्यय (50 प्रतिशत और इससे अधिक) का विवरण **अनुलग्नक-ग** में दिया गया है।

इसी प्रकार, लेखा के 38 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,741.00 करोड़ (मुख्य शीर्ष- 0801 के अंतर्गत विद्युत की बिक्री और विविध विद्युत प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ₹ 2,349.74 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों को सम्मिलित करते हुए) लेखाओं में लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे जोकि कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 52,495.48 करोड़) का 7.13 प्रतिशत है। लघु

शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत बुक की गयी महत्त्वपूर्ण प्राप्तियों (50 प्रतिशत और इससे अधिक) का विवरण **अनुलग्नक-घ** में दिया गया है।

(v) परामर्श के बिना लेखे के नये उप शीर्षों/ विस्तृत शीर्षों को खोलना:

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधानों के तहत यथापेक्षित प्रधान महालेखाकार के परामर्श के बिना, बजट में कोई उप-शीर्ष को नहीं खोला है।

(vi) असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिल:

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों पर आहरित भुगतानों के प्रति अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचरों सहित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिलों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। विलंब से की गयी प्रस्तुति या सहायक डीसीसी बिलों की लंबे समय से अप्रस्तुति एसी बिलों के माध्यम से किये गये व्यय को अस्पष्ट बनाता है तथा वित्त लेखे में दर्शाया गया व्यय सही या अंतिम रूप में आंकलित नहीं जा सकता।

(क) वर्ष 2020-21 के दौरान आहरित ₹ 5,187.43 करोड़ की राशि के 719 एसी बिलों में से, ₹ 2,379.15 करोड़ (45.86 प्रतिशत) की राशि के 604 एसी बिलों को मार्च 2021 में आहरित किया गया था। 31 मार्च 2021 को ₹ 5,280.71 करोड़ की राशि के 356 एसी बिलों से संबंधित डीसीसी बिल प्राप्त नहीं हुए थे। 31 मार्च 2021 को डीसीसी की लंबित प्रस्तुति वाले असमायोजित एसी बिलों का विवरण नीचे दिया गया हैः

वर्ष*	**असमायोजित एसी बिलों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
2019-20 (31.10.2019 से 31.01.2020 तक)	52	340.03
2020-21 (01.02.2020 से 31.01.2021 तक)	304	4,940.68
कुल	**356(#)**	**5,280.71(#)**

(*) *उपर्युक्त वर्णित वर्ष 31 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन के पश्चात्) तथा 31 मार्च 2021 के लेखाओं तक अप्रस्तुत समायोजनों से संबंधित है। संघ शासित क्षेत्र सरकार ने एसी बिलों के आहरण और उनके निपटान हेतु कोडल प्रावधानों को परिशोधित नहीं किया है। यहाँ दो महीनों की अवधि तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य संबंधी नियमावली के अनुसार है।*

(#)14 विभागों द्वारा आहरित

प्रमुख त्रुटिकर्त्ता विभाग जिन्होंने डीसीसी बिलों को प्रस्तुत नहीं किया था, वे हैं- लोक निर्माण विभाग (₹ 1,629.00 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹ 936.14 करोड़), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग (₹ 557.04 करोड़), शिक्षा विभाग (₹ 320.59 करोड़), आवास एवं शहरी विकास विभाग (₹ 308.93 करोड़)।

(ख) इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित विवरणानुसार तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक आहरित ₹ 6,885.63 करोड़ की राशि के 2,237 एसी बिलों से संबंधित डीसीसी बिल 31 मार्च 2021 तक प्रतीक्षित थे। इन बकाया डीसीसी बिलों का द्विविभाजन आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक किया जाना है।

वर्ष(*)	असमायोजित एसी बिलों की संख्या	राशि (₹करोड़ में)
2017-18 तक	1,877	2,272.86
2018-19	222	2,365.71
2019-20 (30.10.2019)	138	2,247.06
कुल	**2,237**	**6,885.63**

(*) उपर्युक्त वर्णित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के दो माह और 31 मार्च 2021 तक के लेखाओं के समायोजन के उपरांत।

(vii) सहायता अनुदान हेतु अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी):

अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त किये गये सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यूसी) को अनुदानग्राही द्वारा उस प्राधिकारी, जिसने इसे संस्वीकृत किया था, को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। यूसी की अप्रस्तुति के कारण, यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि वित्त लेखे में दर्शायी गयी राशि हितभागियों तक पहुँच गयी थी और इस प्रकार व्यय को सही और अंतिम रूप में आंकलित नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, 30 सितंबर 2019 को समाप्त अवधि हेतु तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित बकाया यूसी संबंधी ₹ 4,173.18 करोड़ का निपटारा कर दिया गया था। 30 सितंबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक आहरित तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बकाया यूसी की 31 मार्च 2021 तक की स्थिति नीचे दी गयी है और अविभाजित जम्मू एवं कश्मीर राज्य की जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता खण्ड-Iके पैरा 10.19 के अनुसार इन अनुदानों के यूसी को आहरण की तिथि से 18 महीनों के अंदर प्रधान महालेखाकार (ले व हक) को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था।

वर्ष*	बकाया यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	1,461	5,725.99
2019-20	345	1,248.21
2020-21	1,409 (#)(क)	3,102.38 (#)(क)
कुल	**3,215**	**10,076.58**

** उपर्युक्त वर्णित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 महीनों/ वर्ष और मार्च 2021 तक के समायोजन के उपरांत।*

 # वर्ष 2020-21 के दौरान अतिरिक्त (1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 तक की लेखांकन अवधि) ₹ 3,809.20 करोड़ (1,568 मदें) था जिसमें से 31 मार्च 2021 तक ₹ 3,102.38 करोड़ (1,409 मदें) की सीमा तक बकाया यूसी को छोड़ते हुए ₹ 706.82 करोड़ (159 मदें) की राशि का समायोजन कर दिया गया था।

(*क*) 10 विभागों द्वारा आहरित

प्रमुख त्रुटिकर्त्ता विभाग जिन्होंने यूसी प्रस्तुत नहीं किये थे, वे हैं- शिक्षा विभाग (₹ 5,750.73 करोड़, 57.07 प्रतिशत), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग (₹ 1,043.34 करोड़, 10.35 प्रतिशत), कृषि विभाग (₹ 984.00 करोड़, 9.77 प्रतिशत), तथा ग्रामीण विकास विभाग (₹ 675.81 करोड़, 6.71 प्रतिशत)। उच्चतम लंबित अवधि वाले लाइन विभागों की यूसी का अवधि विश्लेषण **अनुलग्नक-ङ** में दर्शाया गया है।

(viii) सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति देयताएं:

31 दिसंबर 2009 को या इससे पूर्व भर्ती किये गये संघ शासित क्षेत्र सरकार के कर्मचारियों हेतु "पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों" पर वर्ष के दौरान व्यय ₹ 8,577.70 करोड़ (एनपीएस के प्रति सरकारी अंशदान को सम्मिलित नहीं करते हुए) था।

(ix) ब्याज समायोजन:

सरकार 'झ- लघु बचतें तथा भविष्य निधि' इत्यादि, 'ञ- आरक्षित निधियाँ (क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ' और 'ट- जमाएं तथा अग्रिम (क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं' श्रेणियों के अंतर्गत शेषों के संबंध में ब्याज के भुगतान/समायोजन हेतु उत्तरदायी है और इस प्रयोजन के लिए, लेखा की लघु एवं मुख्य शीर्षों की सूची में विशिष्ट उप-मुख्य शीर्षों को उपलब्ध कराया गया है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान को डेबिट करते हुए क्रमशः झ-लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि और ञ-आरक्षित निधियों (क- ब्याज बहन करने वाली आरक्षित निधियाँ) पर ब्याज स्वरूप ₹ 1,954.70 करोड़ {राज्य भविष्य निधि पर ₹ 1,845.08# करोड़, बीमा और पेन्शन निधि इत्यादि पर ₹ 65.73# करोड़ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) पर ₹ 43.89 करोड़} का भुगतान किया।

एसडीआरएफ पर ब्याज की देय राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका क्योंकि 30.10.2019 तक एसडीआरएफ के अंतर्गत शेष को अभी तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।वर्ष 2020-21 हेतु संघ शासित क्षेत्र सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और राज्य जीवन बीमा निगम (एसएलआई) खातों में जमा ब्याज संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जून 2021), जोकि इसके कर्मचारियों के सा.भ. निधि/ एसएलआई खातों के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है, द्वारा अनंतिम/ संभावित# आधार पर सूचित किया गया था।

वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा भुगतान किये गये ब्याज और आरक्षित निधियों/ जमाओं का विवरण निम्नलिखित हैः

(₹ करोड़ में)

निधि/ जमाएं	1 अप्रैल 2020 को शेष	ब्याज की गणना का आधार	देय ब्याज	प्रदत्त ब्याज
राज्य प्रतिकर वन-रोपण निधि एमएच-8121	408.37	ब्याज की गणना 3.40 प्रतिशत की दर पर की गयी, जैसा कि वर्ष 2020-21 हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया।	13.88	शून्य
राज्य प्रतिकर वन-रोपण जमा एमएच-8336	295.06		10.03	शून्य

 # वर्ष 2020-21 हेतु प्रदर्शित संघ शासित क्षेत्र का व्यय, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, देयताएं वास्तविक और संभावित आँकड़ों के मध्य अंतर की सीमा तक भिन्न होंगे।

₹ 23.91 करोड़ के ब्याज के गैर-भुगतान का परिणाम उस सीमा तक राजस्व और राजकोषीय घाटे के कम आंकलन के रूप में हुआ है।

(x) निवेश:

(क) वित्त लेखे के विवरण संख्या 8 और 19 में प्रदर्शित सरकारी निवेशों पर सूचना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से संबंधित निवेशग्राही अधिष्ठान से प्राप्त सूचना पर आधारित है, परंतु संघ शासित क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों (वित्त सहित) द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गयी है। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने निवेश के रूप में ₹ 99.25 करोड़ की राशि बुक की थी। बुक की गयी राशि के प्रति, संबंधित पीएसयू ने ₹ 83.27 करोड़ के निवेश को दर्शाया है जिसका परिणाम वित्त लेखे (खण्ड-II) के विवरण संख्या 16 एवं 19 के मध्य ₹ 15.98 करोड़ के अंतर के रूप में हुआ। अंतर का विवरण **अनुलग्नक-च** में दिया गया है। 31 मार्च 2021 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021) तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के ₹ 162.39 करोड़ के निवेश ने वर्ष 2020-21 के दौरान कोई लाभांश अर्जित नहीं किया था। 31 मार्च 2021 तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेश का विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	**अधिष्ठानों की संख्या**	**वर्ष 2020-21 के अंत में निवेश**
सांविधिक निगम	3	138.78
ग्रामीण बैंक	2	2.35
सरकारी कंपनियाँ	38	17.91[$]
अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ और साझेदारी	2	-
सहकारी बैंक और सोसाइटियाँ	8	3.35[*]
कुल	**53**	**162.39**

$ दो पीएसयू (जेएण्डके उद्यान-कृषि उत्पाद, विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड में ₹ 0.80 करोड़ और जेएण्डके एससी/ एसटी/ ओबीसी विकास निगम लिमिटेड में ₹ 1.20 करोड़) में वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशित ₹ 2.00 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 (31.10.2019 से 31.03.2020) तक की अवधि हेतु जेएण्डके मिनरल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत परिशोधित सूचना के कारण निवेश से कम किये गये ₹ 2.00 करोड़ भी सम्मिलित हैं।

** पंजीयक, सहकारी सोसाइटियाँ (अगस्त 2021) से सहकारी सोसाइटियों में निवेश की प्रतीक्षित अद्यतित सूचना के कारण, 31 मार्च 2020 तक पिछले लेखे में दर्शाये गये निवेश वर्तमान लेखे में प्रतिबिम्बित हुए हैं।*

(ख) निवेशग्राही अधिष्ठानों में से कुछ ने अब वर्ष 2020-21 हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वार्षिक वित्त लेखे में प्रतिबिम्बन हेतु ₹ 1,189.12 करोड़ की राशि के निवेश का विवरण (प्रधान महालेखाकार, लेखापरीक्षा के माध्यम से) प्रस्तुत किया है। 30 अक्टूबर 2019 को समाप्त अवधि संबंधी ये निवेश अविभाजित जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित हैं तथा इन्हें इन अधिष्ठानों द्वारा पहले सूचित नहीं किया था। चूँकि निवेश पिछले वर्षों (30 अक्टूबर 2019 तक) से संबंधित है, इसलिए इन्हें 30 अक्टूबर 2019 तक के संचयी शेषों में जोड़ा गया है। इन निवेशों का विवरण **अनुलग्नक-छ** में दर्शाया गया है।

(ग) निवेशग्राही अधिष्ठानों द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को उपलब्ध करायी गयी सूचना/ आँकड़ों के आधार पर 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) के अंत में 52 अधिष्ठानों में तत्कालीन राज्य द्वारा किया गया कुल निवेश ₹ 4,617.16 करोड़ था तथा सरकार के साथ इसका मिलान नहीं किया गया था। इन निवेशों का प्रभाजन अभी तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र

लद्दाख (अगस्त 2021) के मध्य किया जाना है। आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजन से पूर्व, अधिष्ठानों द्वारा लेखाओं में दर्शाये गये निवेश का सरकार के साथ मिलान करना आवश्यक है।

(xi) पीएसयू, जहाँ लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, को दिये गये अनुदान/ ऋण:

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने नौ पीएसयू/ सांविधिक निगमों इत्यादि को ऋण और दो पीएसयू/ सांविधिक निगमों को अनुदान जारी किये थे। वर्ष 2020-21 हेतु इन सभी 11 पीएसयू/ सांविधिक निगमों इत्यादि के लेखाओं को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। विवरण **अनुलग्नक-ज** में दिया गया है।

(xii) सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियाँ:

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोई विशिष्ट प्रत्याभूति अधिनियम नहीं बनाया है जो संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियों की सीमा और उस पर प्रत्याभूति कमीशन/ शुल्क को प्रभारित करना निर्धारित करे। वर्ष 2020-21 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021) के अंत में संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्रत्याभूतित संचयी राशि ₹ 1,486.07 करोड़ (संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ मिलानाधीन) है। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति) दी गयी ₹ 452.07 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियाँ भी हैं जिन्हें अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा कोई प्रत्याभूति कमीशन/ शुल्क प्राप्त नहीं किया गया था।

(xiii) पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय:

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 का उद्देश्य सभी विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरण संबंधी चिंता को मुख्यधारा में लाना है। "पर्यावरण", अपशिष्ट प्रबंधन, “प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण”, “पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा” तथा "पर्यावरण संरक्षण" इत्यादि संबंधी बजट और व्यय के आँकड़े संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वाउचरों/बजट दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर संकलित किये जाते हैं।

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा पर्यावरण के प्रति किये गये व्यय लेखा के विभिन्न कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष स्तर तक वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 2406- “वानिकी और वन्य जीवन” मुख्य शीर्ष 3435-“पारिस्थितिकी और पर्यावरण” के अंतर्गत ₹ 119.88 करोड़ के बजट आबंटन के प्रति ₹ 83.81 करोड़ का व्यय किया। वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया व्यय ₹ 83.81 करोड़ था अर्थात् राजस्व व्यय का 0.16 प्रतिशत था। व्यय की तुलना में बजट का मुख्य शीर्षवार विवरण **अनुलग्नक-झ** में दिया गया है।

(xiv) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के बैंक खातों में पड़ी हुयी अव्ययित राशि:

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को सरकार की ओर से भुगतान करने के लिए सरकारी खाते/ समेकित निधि से धन का आहरण करना अपेक्षित है। संघ शासित क्षेत्र सरकार से प्राप्त सूचना (अगस्त 2021) से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2021 को ₹ 25.39 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कारण स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के नौ डीडीओ के बचत/ चालू

बैंक खाते में पड़े हुए थे। अन्य विभागों के संबंध में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार से सूचना प्रतीक्षित (अगस्त 2021) थी।

प्रधान महालेखाकार (ले व हक) ने सरकार से डीडीओ के सभी बचत/ चालू बैंक खाते बंद करने और सरकारी खातों से धन के आहरण हेतु कोषागार नियमावली, प्राप्ति और भुगतान नियमावली इत्यादि की विहित कार्यविधि का अनुकरण करने के लिए आग्रह किया है। नौ डीडीओ द्वारा परिचालित किये जा रहे बचत/ चालू बैंक खातों का विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**आहरण एवं संवितरण अधिकारी**	**राशि**
1.	प्रधानाचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू	3.23
2.	मुख्य लेखा अधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कठुआ	0.68
3.	मुख्य लेखा अधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजौरी	0.47
4.	मुख्य लेखा अधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डोडा	0.57
5.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, जम्मू	0.15
6.	निदेशक, परिवार कल्याण और एमसीएच, इम्यूनाइजेशन, जेएण्डके	0.30
7.	प्रधानाचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर	12.45
8.	मुख्य लेखा अधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बारामूला	5.49
9.	मुख्य लेखा अधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अनंतनाग	2.05
	कुल	**25.39**

(xv) पाँच वर्ष या अधिक अवधि वाली अपूर्ण परियोजनाएं:

संघ शासित क्षेत्र सरकार से प्राप्त सूचना (अगस्त 2021) के अनूसार, दो विभागों **(**अर्थात् सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा जल शक्ति (पीएचई) विभाग**)** के अंतर्गत 157 अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्य थे, जो पाँच वर्षों या अधिक अवधि के हैं, इनका विवरण वित्त लेखे खण्ड-II के **परिशिष्ट-IX** में वर्णित है। इन 157 अपूर्ण निर्माण कार्यों में से, लागत में वृद्धि सहित पाँच वर्षों या अधिक अवधि के छह निर्माण कार्य हैं। परिशोधित लागत और लागत में वृद्धि सहित इस प्रकार के निर्माण कार्यों का विवरण **अनुलग्नक-ञ** में दिया गया है।

(xvi) विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का हस्तांतरण:

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और संघ शासित क्षेत्र योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदानों के रूप में संघ शासित क्षेत्र/ जिला स्तरीय अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों, सोसाइटियों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को निधियाँ उपलब्ध कराती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सरकारी योजना/ निर्माण कार्यों/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 6,531.86 करोड़ की राशि प्रदान की थी। सरकारी लेखे से बाहर रखे गये (बैंक खातों में) कार्यान्वयन अभिकरणों के खातों में अव्ययित शेषों की सकल राशि तत्काल अभिनिश्चित करने योग्य नहीं है। इसलिए, उस सीमा तक लेखाओं में प्रतिबिम्बित सरकारी व्यय अंतिम नहीं है।

(xvii) वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा आरबीआई से लिये गये अर्थोपाय अग्रिम:

वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने आरबीआई से ₹ 30,800.28 करोड़ (₹ 24,007.22 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम और ₹ 6,793.06 करोड़ ओवरड्राफ्ट) की राशि के अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट प्राप्त किये थे; और 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान अर्थोपाय अग्रिमों के कारण लिया गया ₹ 295.18 करोड़ (₹ 187.89 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम तथा ₹ 107.29 करोड़ ओवरड्राफ्ट) का अप्रदत्त शेष भी था। 31 मार्च 2021 के अंत में ₹ 1,784.54 करोड़ (₹ 715.89 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम और ₹ 1,068.65 करोड़ ओवरड्राफ्ट) का अप्रदत्त शेष छोड़ते हुए वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 29,310.92 करोड़ (₹ 23,479.22 करोड़ अर्थोपाय और ₹ 5,831.70 करोड़ ओवरड्राफ्ट) की आंशिक राशि का पुनर्भुगतान किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट पर प्रदत्त ब्याज क्रमशः ₹ 34.87 करोड़ तथा ₹ 5.26 करोड़ था। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 14 दिवसीय कोषागार बिलों में निवेशों पर ₹ 0.11 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

30 अक्टूबर 2019 को अविभाजित जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित ₹ 692.11 करोड़ की सीमा तक के अप्रदत्त अर्थोपाय अग्रिम भी थे जिन्हें आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है।

(xviii) प्रतिबद्ध देयताएं:

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा लेखांकन के प्रोद्भवन आधार को अपनाने के प्रति कुछ कार्रवाई आरंभ की गयी है। तथापि, चूँकि पारगमन अवस्थाओं में घटित होता है, लेखांकन की प्रोद्भूवन आधारित प्रणाली में परिवर्तन हेतु निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए रोकड़ लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में विवरणों के रूप में कुछ अतिरिक्त सूचना को संलग्नित किया जाना अपेक्षित है। संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा वित्त लेखे में प्रकटन हेतु विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-XII) में प्रतिबद्ध देयताओं पर सूचना प्रस्तुत की जानी थी परंतु उसने ऐसा नहीं (अगस्त 2021) किया। तथापि, संसद के समक्ष मार्च 2021 में प्रस्तुत राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिबिम्बित प्रतिबद्ध देयताओं को **परिशिष्ट-XII** में दर्शाया गया है।

(xix) निर्दिष्ट अनुदानों को सम्मिलित न करते हुए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस)/ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की पुनर्संरचना:

योजना/ गैर-योजना के विलयन के परिणामस्वरूप, निर्मोचित केन्द्रीय सहायता को अब केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता/ अंश में वर्गीकृत किया गया है।

वर्ष 2020-21 में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता/ अंश के प्रति महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के पोर्टल लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में प्रदर्शित ₹ 6,572.60 करोड़ के प्रति, आरबीआई से निर्बाधता ज्ञापनों, सीएएस, नागपुर और संबंधित मंत्रालयों से समर्थक संस्वीकृति आदेशों से ₹ 6,385.75 करोड़ (केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों द्वारा पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से हितभागियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण को सम्मिलित न करते हुए) प्राप्त हुए थे। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के

लेखाओं में आरबीआई द्वारा अप्रैल 2021 में अभिलेखबद्ध और 31 मार्च 2021 को निर्मोचित ₹ 186.85 करोड़ के अलावा, उक्त राशि को मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं में समुचित रूप से बुक किया गया है।
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बुक किया गया कुल व्यय ₹ 6,034.70 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 1,740.45 करोड़ और पूँजीगत व्यय ₹ 4,294.25 करोड़) है, जिसमें केन्द्रीय सहायता के बाहर व्यय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु संघ शासित क्षेत्र अंश सम्मिलित है।

(xx) संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ):

भारत सरकार के निर्णयानुसार, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) हेतु सभी सहायता को समेकित निधि के माध्यम से संघ शासित क्षेत्र सरकार को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है न कि सीधे ही कार्यान्वयन एजेन्सियों को। तथापि, महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ने संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों को सीधे ही ₹ 917.68 करोड़ की राशि निर्गत की थी। खण्ड-II के **परिशिष्ट-VI** में इसका विवरण है।

उपर्युक्त के अलावा,विभिन्न स्वायत्त निकायों, केन्द्र सरकार के संगठनों, सोसाइटियों इत्यादि ने सीधे ही केन्द्र सरकार से ₹ 1,843.51 करोड़ प्राप्त किये।

3. आकस्मिकता निधि:

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 69 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की आकस्मिकता निधि से धनराशि के आहरण और उसमें धनराशि के भुगतान की अभिरक्षा के अनुषंगी तथा संबद्ध सभी मामलों के विनियमन हेतु जम्मू एवं कश्मीर की आकस्मिकता निधि नियमावली, 2020 (अधिसूचना सं. एस.ओ-271 दिनांक 27 अगस्त 2020) का निर्माण किया। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की आकस्मिकता निधि में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि से हस्तांतरित ₹ 25.00 करोड़ का कॉर्पस है। 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ एक करोड़ का शेष था जिसे दो आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है।

4. लोक लेखाः

(i) राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीः

1 जनवरी 2010 को या उसके बाद भर्ती किये गये सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेन्शन योजना, जोकि एक परिभाषित पेन्शन योजना है, के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है। योजना की शर्तों में, कर्मचारी उसके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का अंशदान करता/ करती है, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का अंशदान किया जाता है, और समस्त राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जानी होती है। तथापि, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सरकारी अंशदान को मई 2021 (संघ

शासित क्षेत्र जम्मू एव कश्मीर सरकार एसओ सं. 178 दिनांक 20 मई 2021) में 1 अप्रैल 2020 से भूतलक्षी प्रभाव सहित 14 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने केवल 10 प्रतिशत मैचिंग शेयर का अंशदान किया।

वर्ष 2020-21 के दौरान परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना में कुल अंशदान ₹ 1,037.66 करोड़ (कर्मचारी अंशदान ₹ 537.25 करोड़ और संघ शासित क्षेत्र सरकार अंशदान ₹ 500.41 करोड़) था। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना के अंतर्गत लोक लेखा में ₹ 1,037.66 करोड़ हस्तांतरित किये। एनपीएस के प्रति संघ शासित क्षेत्र सरकार का अंशदान ₹ 36.84 करोड़ तक कम था जिसका परिणाम उस सीमा तक राजस्व घाटों और राजकोषीय घाटे के कम आंकलन के रूप में हुआ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 31 मार्च 2021 तक निधि के अंतर्गत ₹ 0.52 करोड़ का डेबिट शेष छोड़ते हुए, एनएसडीएल/ ट्रस्टी बैंक (₹ 17.29 करोड़ के पिछले बकाया सहित) को ₹ 1,055.47 करोड़ हस्तांतरित किये गये थे। 31 मार्च 2020 को डेबिट शेष, 30 अक्टूबर 2019 को निधि के अंतर्गत उपलब्ध शेष के आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य गैर-प्रभाजन के कारण था।

प्रोद्भूत ब्याज सहित असंग्रहित, असुमेलित और अहस्तांतरित राशियाँ योजना के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र सरकार की बकाया देयताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं।

(ii) आरक्षित निधियाँ:

आरक्षित निधियों के विवरण वित्त लेखे के विवरण 21 और 22 में उपलब्ध हैं। विशिष्ट प्रयोजनों हेतु चिह्नित सात कार्यशील आरक्षित निधियाँ हैं। 31 मार्च 2021 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021) के अंत तक इन निधियों में कुल संचित शेष ₹ 771.13 करोड़ था। जिसमें से ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत ₹ 780.89 करोड़ (क्रेडिट) और ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत ₹ 9.76 करोड़ (डेबिट) था। ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत 31 मार्च 2021 तक ₹ 9.76 करोड़ का डेबिट शेष 30 अक्टूबर 2019 तक आरक्षित निधियों में कुल संचित निवल शेष (ब्याज वहन न करने वाली) के कारण है, जिसे आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ:

(क) राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ):

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों के अंतर्गत जोकि ब्याज वहन करने वाले अनुभाग के अंतर्गत है) के गठन और प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्र एवं राज्य सरकारों को निधि में 90:10 के अनुपात में अंशदान करना अपेक्षित है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के दो नये संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्गठन पर, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने इस निधि को जारी रखा। वर्ष 2020-21 के दौरान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया कोष में अंशदान के प्रति अनुदानों के कारण ₹ 279.00 करोड़ की राशि निर्मोचित की गयी थी। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एसडीआरएफ के अंतर्गत निधि में ₹ 357.57 करोड़ (केन्दीय अंश ₹ 279.00 करोड़, संघ शासित क्षेत्र अंश ₹ 31.00 करोड़, ब्याज ₹ 43.89 करोड़ और ₹ 3.68 करोड़ का अव्ययित शेष) हस्तांतरित किये थे।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित निधि में अंशदान, व्यय और उसमें शेष निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

अथ शेष (1 अप्रैल 2020)	केन्द्र द्वारा अंशदान	संघ शासित क्षेत्र अंश	एनडीआरएफ के अंतर्गत प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ	सेट ऑफ राशि (एमएच 2245-05)	निधि में शेष	वर्ष के दौरान आरबीआई/ यूटी सरकार द्वारा निवेशित
(-)176.90	279.00	31.00	शून्य	357.57*	164.35	16.32	शून्य

₹ 43.89 करोड़ का ब्याज और पिछले अव्ययित शेष की प्रत्यक्ष जमा के ₹ 3.68 करोड़ सम्मिलित हैं।

प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया ₹ 164.35 करोड़ का समस्त व्यय ₹ 180.67 करोड़ के निधि शेष के प्रति सेटऑफ (एमएच 2245) किया गया था। 31 मार्च 2021 के अंत तक निधि में पड़ा हुआ शेष ₹ 16.32 करोड़ था।

1 अप्रैल 2020 को निधि के अंतर्गत ₹ 176.90 करोड़ का ऋणात्मक शेष 30 अक्टूबर 2019 तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 1,271.48 करोड़ के सकल शेष के कारण है जिसे दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है। आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य ₹ 1,260.62 करोड़ के अप्रभाजित निवल शेष को छोड़ते हुए, निधि से ₹ 10.86 करोड़ की राशि का निवेश किया गया।

(ख) राज्य प्रतिकर वन-रोपण निधि:

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्याः 5-1/2009-एफसी दिनांक 28 अप्रैल, 2009 द्वारा जारी अनुदेशों तथा 2 जुलाई 2009 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, सरकारों को उपभोक्ता अभिकरणों से प्राप्त धनराशि और प्रतिकर वन-रोपण उपक्रम हेतु संग्रहित सहायतित धनराशि की उपयोगिता, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, अवसंरचना विकास, वन्यजीव संरक्षण तथा सुरक्षा तथा तत्संबंधी प्रासंगिक या उनसे संबद्ध मामलों हेतु राज्य प्रतिकर वन-रोपण निधि को स्थापित करना आवश्यक है।

सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त धनराशि को मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमाएं के नीचे लघु शीर्ष स्तर पर लोक लेखा अनुभाग में ब्याज वहन करने वाले अनुभाग के अंतर्गत 'राज्य प्रतिकर वन-रोपण जमाओं' में जमा किये जाने की आवश्यकता होती है। प्रतिकर वन-रोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3 (4) के अनुसार, निधि का 90 प्रतिशत के सरकार के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों में हस्तांतरित किये जाने की आवश्यकता होती है और शेष 10 प्रतिशत को वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा किया जाना आवश्यक होता है, उपबंधित है कि निधि के केन्द्रीय अंश 10 प्रतिशत की जमा को मासिक आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे उक्त को राष्ट्रीय निधि में हस्तांतरित किया जा सके।

8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों के अंतर्गत 8336-सिविल जमाएं और राज्य प्रतिकर वन-रोपण निधि के अधीन राज्य प्रतिकर वन-रोपण जमाओं के अंतर्गत उपलब्ध शेषों पर ब्याज की अनुप्रयोज्य दर वर्षानुवर्ष आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार होगी।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य का दो नये संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्गठन होने पर, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने राज्य प्रतिकर वन-रोपण निधि के साथ संव्यवहार जारी रखा।

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने प्रयोक्ता अभिकरणों से ₹ 180.19 करोड़ प्राप्त किये और मुख्य शीर्ष-8336-सिविल जमाओं के अंतर्गत उक्त राशि को जमा कर दिया। वर्ष 2020-21 के दौरान, उक्त प्राप्ति (₹ 180.19 करोड़) का 90 प्रतिशत मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया था तथा यथापेक्षित शेष 10 प्रतिशत भी राष्ट्रीय निधि को हस्तांतरित नहीं किया गया था। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ₹ 356.20 करोड़ राष्ट्रीय प्रतिकर वन-रोपण जमा के भी प्राप्त किये और मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों के अंतर्गत प्रतिकर वन-रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) में जमा कर दिये।राज्य प्रतिकर वन-रोपण जमा/ निधि में कुल शेष मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमाओं के अंतर्गत ₹ 475.26 करोड़ और मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और आरक्षित निधियों के अंतर्गत ₹ 764.57 करोड़ था।

(क) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ:

(अ) समेकित ऋण शोधन निधि:

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में ऋणों के परिशोधन हेतु समेकित ऋण शोधन निधि की स्थापना की और आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने इसे जारी रखा। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार समेकित ऋण शोधन निधि में पिछले वर्ष (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के अंत तक उनकी बकाया देयताओं {लोक ऋण+लोक लेखा (उचंत और प्रेषण को सम्मिलित नहीं करते हुए)} के न्यूनतम 0.50 प्रतिशत का अंशदान कर सकती है। निधि में निम्नलिखित संव्यवहार हुए हैं:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2020 को अथ शेष	**निधि में परिवर्धन (अंशदान और ब्याज)**		**निधि के बाहर भुगतान**	**निधि में कुल शेष**	**वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा निवेशित राशि**	**31 मार्च 2021 को अंत शेष**
	अपेक्षित अंशदान (31 मार्च 2020 को बकाया द्यताओं* का 0.50 प्रतिशत)	वर्ष के दौरान अंशदान और जोड़ा गया ब्याज				
शून्य	27.50	55.63	शून्य	55.63	शून्य	55.63

**31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु ₹ 5,500.35 करोड़ की बकाया देयता का आंकलन तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) को समाप्त अवधि हेतु ₹ 83,536.64 करोड़ की देयताएं, जिन्हें आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है, को सम्मिलित नहीं करते हुए किया गया है।*

निधि में तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा निधि के प्रारंभ से 30 अक्टूबर 2019 तक ₹ 355.87 करोड़ के अंशदान को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है।

(आ) प्रत्याभूति मोचन निधि:

प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) पर 2013 के आरबीआई के दिशानिर्देशों में उल्लिखित है कि सरकार के लिए यह वांछनीय है कि वह निधि के गठन के वर्ष के आरंभ में बकाया प्रत्याभूतियों के न्यूनतम एक प्रतिशत का योगदान करे और उसके बाद पिछले वर्ष की बकाया प्रत्याभूतियों के न्यूनतम तीन से पाँच प्रतिशत के कोष प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष न्यूनतम 0.50 प्रतिशत का योगदान करे।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने 31.03.2021 तक प्रत्याभूति मोचन निधि अधिनियम को निर्मित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर सरकार की प्रत्याभूति मोचन निधि योजना के पास निधि में अंशदान के लिए कोई भी लक्ष्य नहीं था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने निधि के प्रति ₹ एक करोड़ का अंशदान किया। 31 मार्च 2021 तक निधि का अंत शेष ₹ दो करोड़ था। 30 अक्टूबर 2019 तक निधि में ₹ 20.42 करोड़ का शेष भी था जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है। ₹ 22.42 करोड़ {संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित ₹ दो करोड़ (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021) तथा 30 अक्टूबर 2019 तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित ₹ 20.42 करोड़} की संपूर्ण राशि का सरकार द्वारा निवेश नहीं किया गया है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 तक प्रदत्त (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021) ₹ 1,486.07 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियां {30 अक्टूबर 2019 के अंत तक ₹ 452.07 करोड़ (₹ 1.65 करोड़ का ब्याज सम्मिलित नहीं करते हुए) को सम्मिलित नहीं करते हुए जिसे दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है।

निधि का विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

अथ शेष (01 अप्रैल 2020)	निधि में परिवर्धन (अंशदान और ब्याज)			निधि के बाहर भुगतान	निधि में कुल शेष	निधि में अपेक्षित शेष*	वर्ष 2020-21 के दौरान आरबीआई द्वारा निवेशित राशि	अंत शेष (31 मार्च 2021)
	अपेक्षित अंशदान *	2020-21 के दौरान वास्तविक						
		अंशदान	ब्याज					
1.00	*	1.00	शून्य	शून्य	2.00	*	शून्य	2.00

**31.03.2021 तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा कोई जीआरएफ अधिनियम को निर्मित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर सरकार की प्रत्याभूति मोचन निधि योजना के पास निधि में अंशदान के लिए कोई भी लक्ष्य नहीं था।*

लेखा के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र सरकार को प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) में अंशदान हस्तांतरित करने के लिए व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) अनुभाग में कार्यात्मक मुख्य/ उप-मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, जहाँ कहीं आवश्यक हो, लघु शीर्ष 797- आरक्षित निधियों/ जमा लेखा में हस्तांतरण का परिचालन करना अपेक्षित था। तथापि, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने मुख्य शीर्ष 2075-'विविध सामान्य सेवाएं' के नीचे लघु शीर्ष-800 का परिचालन किया।

(ख) अपरिचालित आरक्षित निधियाँ:

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (पुनर्गठन पूर्व) से संबंधित पाँच ब्याज वहन नहीं करने वाली अपरिचालित आरक्षित निधियाँ थी। 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक कुल संचित शेष का विवरण नीचे दिया गया हैः

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	राशि ₹ करोड़ में
1.	8223-अकाल राहत निधि	101- अकाल राहत निधि	8.67
2.	8226-मूल्यह्रास/ नवीकरण आरक्षित निधि	101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की आरक्षित निधियों का मूल्यह्रास	573.79
3.	8226- मूल्यह्रास/ नवीकरण आरक्षित निधि	102- सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभागों की आरक्षित निधियों का मूल्यह्रास	72.86
4.	8229-विकास और कल्याण निधियाँ	103-कृषिगत प्रयोजनों हेतु विकास निधियाँ	40.52
5.	8229- विकास और कल्याण निधियाँ	109-सहकारी विकास निधियाँ	*

**नगण्य ₹ 0.10 लाख मात्र।*

इन पाँच अपरिचालित निधियों के अंतर्गत 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक ₹ 695.84 करोड़ के कुल संचित शेष को अभी तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

(iii) उचंत एवं प्रेषण शेष:

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को प्रतिबिम्बित करते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष की गणना विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत पृथक रूप से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों जोड़ते हुए की जाती है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के पिछले दो वर्षों 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) तथा 2020-21 हेतु मुख्य उचंत शीर्षों के अंतर्गत सकल आँकड़ों की स्थिति **अनुलग्नक-ट** में दी गयी है।

उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) के अंत तक ₹ 2,114.33 करोड़ {उचंत के अंतर्गत ₹ 733.16 करोड़ (डेबिट) प्रेषणों के अंतर्गत ₹ 2,847.49 करोड़} का निवल क्रेडिट शेष भी था जिसे आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की गैर-निर्बाधता संघ शासित क्षेत्र सरकार के लेखाओं (जिन्हें वर्ष दर वर्ष अग्रणीत किया जाता है) के भिन्न-भिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति/ व्यय के आँकड़ों और शेषों की परिशुद्धता को प्रभावित करती है।

(iv) केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ):

भारत सरकार विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए संघ शासित क्षेत्र सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के अंतर्गत वार्षिक अनुदानें उपलब्ध कराती है। विस्तारित लेखांकन कार्यविधि के अनुसार, अनुदानों को प्रारंभिक रूप से मुख्य शीर्ष "1601-सहायता अनुदान" के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में बुक किया जाना होता है। उसके बाद इस प्रकार प्राप्त की गयी राशि को संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष "3054-सड़कें एवं पुल" के माध्यम से मुख्य शीर्ष "8449-अन्य जमाएं केन्द्रीय सड़क निधि से संसहायिकी" के अंतर्गत लोक लेखा में हस्तांतरित करना होता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुदानों की प्राप्ति का परिणाम लेखाओं में राजस्व अधिशेष के कम आंकलन या राजस्व घाटे के अधिक आंकलन के रूप में नहीं हुआ है। सीआरएफ के अंतर्गत निर्धारित सड़क निर्माण कार्यों पर व्यय प्रथमतया संबद्ध पूँजीगत व्यय अनुभाग मुख्य शीर्ष "5054-सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय" के अंतर्गत अभिलेखबद्ध करना होता है और संबंधित मुख्य शीर्ष-5054 में व्यय कटौती के रूप में मुख्य शीर्ष 8449 के अंतर्गत लोक लेखा से प्रतिपूर्ति की जाती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सीआरएफ के प्रति ₹ 79.40 करोड़ के अनुदान प्राप्त किये और समस्त राशि को व्यय शीर्ष-3054 के माध्यम से जमा शीर्ष-8449 में हस्तांतरित कर दिया। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 31 मार्च 2021 के अंत तक निधि में ₹77.34 करोड़ का अंत शेष छोड़ते हुए, जो 31 मार्च 2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक) के अंत तक ₹ 25.30 करोड़ के पिछले अव्ययित शेष को शामिल करता है, वर्ष के दौरान निधि से ₹ 27.36 करोड़ का व्यय किया था।
निधि के अंतर्गत 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक ₹ 573.33 करोड़ का शेष भी था, जिसे संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है।

(v) भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर:

भारत सरकार ने कामगारों को लाभ पहुँचाने के लिए उपकर की उगाही और संग्रहण हेतु भवन और अन्य निर्माण कामगार उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) बनाया था। इस अधिनियम ने, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्रत्येक सरकार द्वारा नियमावली का निर्माण करने तथा भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के गठन को समादेशित किया। तदनुसार, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य ने अधिनियम के अंतर्गत भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा-शर्तों का विनियमन) नियमावली, 2006 का निर्माण किया तथा वर्ष 2007 में जम्मू एवं कश्मीर भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया। बोर्ड श्रमिक उपकर जमाओं के रूप में सरकार द्वारा जमा की गयी राशि के परिचालन और अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने उक्त नियमावली का अनुपालन जारी रखा। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने श्रम उपकर के रूप में ₹ 124.41 करोड़ संग्रहित किये जो बोर्ड के बैंक खाते में रखे जा रहे हैं।

(vi) अन्य उपकर:

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 0029-"भू-राजस्व" (श्रम उपकर के अलावा) के नीचे लघु शीर्ष 103-"भूमि पर दरें और उपकर" के अंतर्गत ₹ 22.45 करोड़ की राशि बुक की थी। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार (अगस्त 2021) द्वारा संग्रहित उपकरों के हस्तांतरण हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा कोई निधि स्थापित नहीं की गयी थी।

(vii) रोकड़ शेष:

प्रधान महालेखाकार (ले व हक) के अभिलेख के अनुसार 31 मार्च 2021 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021) संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (पुनर्गठन पश्चात्) का रोकड़ शेष ₹ 1,447.69 करोड़ (डेबिट) और आरबीआई {जैसा कि प्रधान महालेखाकार (ले व हक) द्वारा आंकलित किया गया} के अनुसार ₹ 1,448.27 करोड़ (क्रेडिट) था। संघ शासित क्षेत्र सरकार और अभिकरण बैंक के मध्य गैर-मिलान के कारण, ₹ 0.58 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर था।

30 अक्टूबर 2019 तक आरबीआई और प्रधान महालेखाकार के आँकड़ों के मध्य ₹ 83.32 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर भी था जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है।

(viii) राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप शेषों का नियतन:

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (धारा 84 और 85) तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर 2020 में वह तरीका उपबंधित है जिसके द्वारा शेषों को 31 अक्टूबर 2019 से आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

यद्यपि, इस संबंध में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी कर दी गयी थी, परंतु 30 अक्टूबर 2019 तक के सभी शेषों को आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है, परिणामस्वरूप लेखाओं के कुछ शीर्षों के अंतर्गत विपरीत शेष रहे। उक्त अवधि हेतु अप्रभाजित मदों का विवरण वित्त लेखे के खण्ड-II के **परिशिष्ट-XIII** में दिया गया है।

5. भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) के अनुसार प्रकटन:

(क) आईजीएएस 1-सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियाँ:

आईजीएएस-1 अपेक्षा करता है कि संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों पर क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार प्रकटनों को वित्त लेखे में निगमित किया जाना चाहिए। विवरण 9 और 20 संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों और प्रत्याभूतित राशि पर ब्याज के विवरण दर्शाता है। यद्यपि, क्षेत्र-वार ब्योरे प्रकटित किये गये हैं, श्रेणी-वार ब्योरे संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखे में निगमित नहीं किये गये थे क्योंकि उक्त संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

आईजीएस-1 के अनुसार तैयार किये गये विवरण 9 और 20 में प्रतिवेदित प्रत्याभूतियों पर ब्योरे, प्रधान महालेखाकार जम्मू एवं कश्मीर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना पर आधारित हैं और ये संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार तथा संबंधित अधिष्ठान के साथ मिलानाधीन हैं।

(ख) आईजीएएस 2- सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण:

आईजीएएस-2 के अनुसार, सहायता अनुदान संबंधी व्यय को, उन मामलों के अलावा जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट रूप से परिशोधित किये गये, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, यदि इसमें परिसंपत्तियों का सृजन सम्मिलित है।लेखांकन और संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों के वर्गीकरण संबंधी आवश्यकताएं विवरण 10 और **परिशिष्ट III** में प्रदर्शित की गयी हैं जिन्हें आईजीएएस-2 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है। सहायता अनुदान के प्रति ₹ 61.59 करोड़ की राशि पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत बुक की गयी थी, जोकि आईजीएएस-2 के प्रावधानों का उल्लंघन है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा विभिन्न रूप से दिये गये सहायता अनुदानों के संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत (अगस्त 2021) नहीं की गयी है।

(ग) आईजीएएस 3- सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम:

आईएजीएस-3 संघ, राज्य और संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर प्रकटन की अपेक्षा करता है।

वित्त लेखे 2020-21 के विवरण 7 और 18 को आईजीएएस-3 के अंतर्गत प्रकटनों को निगमित करते हुए तैयार किया गया है। वित्त लेखे के इन विवरणों में प्रतिवेदित ऋणों एवं अग्रिमों के ब्योरे प्रधान महालेखाकार (ले व हक) को प्रस्तुत लेखाओं और सरकारी कर्मचारियों को दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में प्रधान महालेखाकार (ले व हक) द्वारा अनुरक्षित विस्तृत लेखाओं पर आधारित हैं। 31 मार्च 2021 तक विवरण 7 और 18 में प्रदर्शित अंत शेषों का ऋणी अधिष्ठानों/ संघ शासित क्षेत्र सरकार के साथ मिलान नहीं किया गया है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कुछ ऋणों एवं अग्रिमों, जिनके लिए उन्होंने विस्तृत लेखे अनुरक्षित किये हैं, के संबंध में भी आँकड़ों को प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने आश्वासन दिया है कि अपेक्षित सूचना वर्ष 2021-22 के लेखाओं से प्रस्तुत की जायेगी।

लेखे निम्नलिखित इंगित करते हैं:

30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) को समाप्त अवधि हेतु तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित ₹ 21.57 करोड़ की राशि के पुराने ऋणों (जिनके विस्तृत लेखे प्रधान महालेखाकार (ले व हक) द्वारा अनुरक्षित किये जाते हैं) को आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 के दौरान छह विभागों ने नौ स्वायत्त निकायों/ पीएसयू, प्राधिकरणों इत्यादि को ₹ 99.78 करोड़ की राशि के 46 सरकारी ऋण संस्वीकृत किये थे, यद्यपि, पिछले ऋणों के संबंध में संबंधित ऋणियों से कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। ₹ 38.14 करोड़ की राशि के पिछले ऋण पुनर्गठन उपरांत 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान दिये गये थे (**ब्योरे अनुलग्नक-ठ में है)।**

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 (पुनर्गठन उपरांत) (विवरण 18 के अतिरिक्त प्रकटनों में ब्योरे दिये गये हैं) के दौरान सांविधिक निगमों/ अन्य अधिष्ठानों को ₹ 99.78 करोड़ की राशि के ऋणों हेतु ऋणों के पुनर्भुगतान की निबंधन एवं शर्तों का निपटारा नहीं किया गया है।

परिणामस्वरूप, इस कारण से संघ शासित क्षेत्र सरकार के प्राप्यों का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) को समाप्त अवधि हेतु अविभाजित जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा सांविधिक निगमों/ अन्य अधिष्ठानों को दिये गये ₹ 1,718.87 करोड़ के बकाया ऋण भी थे जिन्हें अभी तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

वर्ष के अंत में सांविधिक निगमों/ पीएसयू इत्यादि को दिये गये ऋणों की अतिदेय वसूली संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा सूचित (अगस्त 2021) नहीं की गयी है।

प्रधान महालेखाकार (ले व हक) सत्यापन एवं स्वीकृति हेतु वार्षिक रूप से ऋण संस्वीकृत करने वाले विभागों को ऋण शेषों (जहाँ प्रधान महालेखाकार द्वारा विस्तृत लेखे अनुरक्षित किये जाते हैं) की सूचना देता है। किसी भी ऋणी ने शेषों की पुष्टि (अगस्त 2021) नहीं की है।

शेषों के मिलान हेतु विभागीय/ कोषागार अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना के ब्योरे वित्त लेखे के **परिशिष्ट-VII** में उपलब्ध कराये गये हैं।

6. राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम)/ मध्यावधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) अधिनियम के अंतर्गत प्रकटन:

अगस्त 2009 में तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा पारित जम्मू एवं कश्मीर एफआरबीएम अधिनियम, 2006 के संदर्भ में, आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने संसद (मार्च 2021) में वर्ष 2021-22 हेतु संघ शासित क्षेत्र बजट सहित मध्यावधि राजकोषीय नीति और कार्यनीति विवरण प्रस्तुत किया। वर्ष 2020-21 हेतु कोई राजकोषीय संकेतकों-रोलिंग लक्ष्यों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था। तथापि, वर्ष 2020-21 हेतु लेखाओं के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के राजकोषीय मापदण्ड निम्नानुसार थेः

क्र. सं.	मापदण्ड	लेखे और जीएसडीपी* के अनुसार वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ
1.	राजस्व घाटा	लेखाओं के अनुसार ₹ 138.27 करोड़ का राजस्व घाटा वर्ष 2020-21 हेतु जीएसडीपी का 0.08 प्रतिशत था।
2.	राजकोषीय घाटा	लेखाओं के अनुसार ₹ 10,693.36 करोड़ का राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 हेतु जीएसडीपी का 6.07 प्रतिशत था।
3.	बकाया लोक ऋण# और अन्य देयताएं	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 (30 अक्टूबर 2019 तक ₹ 83,536.64 करोड़ के बकाया लोक ऋण और अन्य देयताएं सम्मिलित नहीं करते हुए जिन्हें अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है) तक की अवधि हेतु बकाया लोक ऋण# और अन्य देयताएं (₹ 14,880.47# करोड़) जीएसडीपी का 8.44 प्रतिशत थी।

 # इस डेबिट में ₹ 2,099.80 करोड़ सम्मिलित नहीं है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के आदेश संख्या एफ संख्या 40(1) पीएफ-एस 2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021 द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में अनुषंगी ऋणों को बढ़ाया गया था।

₹ 10,693.36 करोड़ के राजकोषीय घाटे को निम्न प्रकार से वित्त पोषित किया गया था (i) आंतरिक ऋण (बाजार उधारियाँ, वित्तीय संस्थानों इत्यादि से ऋण) ₹ 7,005.26 करोड़, (ii) केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम ₹ 2,164.35 करोड़, (iii) लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि ₹ 1,144.17 करोड़, (iv) जमा एवं अग्रिम ₹ 581.96 करोड़, (v) आकस्मिकता निधि ₹ 25.00 करोड़, (vi) ऋण शोधन निधियाँ और आरक्षित निधियाँ ₹ 584.18 करोड़, (vii) उचंत एवं विविध (-) ₹ 82.34 करोड़, (viii) प्रेषण (-) ₹ 763.81 करोड़, (ix) रोकड़ शेष में कमी ₹ 34.59 करोड़।

वर्ष 2020-21 हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की *__जीएसडीपी__ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) ₹ 1,76,282 करोड़ है जैसाकि सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय (26 अप्रैल 2021) पर उपलब्ध है। बकाया ऋण में सभी ऋण (₹ 2,099.80 करोड़ सम्मिलित नहीं है, जिन्हें जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में अनुषंगी ऋणों को बढ़ाया गया था।) और अन्य देयताएं सम्मिलित हैं।

7. राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव:

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव, जैसाकि पूर्ववर्ती पैराग्राफों [पैरा संख्या 2(ii), 2(ix), और 4(i)] में दर्शाया गया है, को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया हैः

पैरा संख्या	मद (उदाहरणात्मक)	राजस्व घाटे पर प्रभाव (क)		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (ख)	
		अधिक आंकलन (₹ करोड़ में)	कम आंकलन (₹ करोड़ में)	अधिक आंकलन (₹ करोड़ में)	कम आंकलन (₹ करोड़ में)
2 (ii)	राजस्व एवं पूँजीगत के मध्य गलत वर्गीकरण	कोई प्रभाव नहीं	189.81	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं
2 (ix)	राज्य प्रतिकर वन-रोपण निधि एमएच-8121 पर ब्याज का गैर-भुगतान	कोई प्रभाव नहीं	13.88	कोई प्रभाव नहीं	13.88
2 (ix)	राज्य प्रतिकर वन-रोपण जमा एमएच-8336 पर ब्याज का गैर-भुगतान	कोई प्रभाव नहीं	10.03	कोई प्रभाव नहीं	10.03
4(i)	परिभाषित अंशदायी पेन्शन निधि में कम अंशदान	कोई प्रभाव नहीं	36.84 (क)	कोई प्रभाव नहीं	36.84 (a)
कुल (निवल) प्रभाव		**250.56 (क) कम आंकलन**		**60.75 (क) कम आंकलन**	

(क) दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक सरकारी अंशदान कीभूतलक्षी प्रभावी वृद्धि (मई 2021 में) राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव में प्रतिबिम्बित नहीं हुयी है। कृपया पैरा 4 (i) का संदर्भ लें।

अनुलग्नक-क

बुक समायोजन

(संदर्भ: पैराग्राफ 1(ii)); पृष्ठ 62)

बुक समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि	अभ्युक्तियाँ
	से	तक	**(₹ करोड़ में)**	
सा. भ. निधि पर ब्याज	2049-03-104	8009-101	1,845.08	संघ शासित क्षेत्र सरकार कर्मचारियों के सा. भ. निधि पर वार्षिक ब्याज और संघ शासित क्षेत्र सरकार कर्मचारियों (अनंतिम आधार पर) की राज्य जीवन बीमा निधि पर ब्याज तथा 31 अक्टूबर से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु एसडीआरएफ के अंतर्गत शेष पर ब्याज।
राज्य बीमा निधि पर ब्याज	2049-03-108	8011-105	65.73	
एसडीआरएफ पर ब्याज	2049-05-105 (डेबिट)	8121-122 (क्रेडिट)	43.89	
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ)	2245-05-901 (कटौती डेबिट)	8121-122 (डेबिट)	164.35	एमएच 2245 को कटौती डेबिट द्वारा एमएच-8121 को डेबिट करके एसडीआरएफ से प्राप्त आनुग्राहिक राहत निधि पर व्यय।
	2245-05-101 (डेबिट)	8121-122 (क्रेडिट)	310.00	एमएच-2245 को डेबिट द्वारा एसडीआरएफ को हस्तांतरित यूटी शेयर सहित सहायता अनुदान राशि।
केन्द्रीय सड़क निधि	3054-80-797 (डेबिट)	8449-103 (क्रेडिट)	79.40	सड़कों के विकास हेतु भारत सरकार से सीआरएफ सहायता अनुदान।
केन्द्रीय सड़क निधि	5054-80-902 (कटौतीडेबिट)	8449-103 (डेबिट)	27.36	प्रारंभिक रूप से मुख्य शीर्ष-5054 के अंतर्गत बुक किये गये सीआरएफ से प्राप्त व्यय।
ऋण शोधन निधि का सृजन	2048-101 (डेबिट)	8222-101 (क्रेडिट)	55.63	सृजित ऋण शोधन निधि तथा ऋण शोधन निधि को हस्तांतरित राशि।
प्रत्याभूति मोचन निधि	2075-800 (डेबिट)	8235-117 (क्रेडिट)	1.00	एमएच- 2075-800 के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि से डेबिट द्वारा प्रत्याभूति मोचन निधि को हस्तातंरित राशि।

अनुलग्नक-ख

राजस्व के बजाय पूँजीगत के अंतर्गत बुक किया गया व्यय

(संदर्भ: पैराग्राफ 2(ii); पृष्ठ 63)

क्र. सं.	वर्गीकरण	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	सहायिकी	वेतन
				(₹ करोड़ में)
1.	4210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	9.62	-	-
2.	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	3.35	-	-
3.	4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	0.17
4.	4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय	10.11	125.84	-
5.	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	-	0.46	-
6.	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	38.51	-	-
7.	5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	-	1.75	-
	कुल	**61.59**	**128.05**	**0.17**

अनुलग्नक-ग

लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय का परिचालन

(संदर्भ: पैराग्राफ 2(iv); पृष्ठ 63-64)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय सहित कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय हेतु लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय का प्रतिशत	व्यय की प्रकृति
	(₹ करोड़ में)			
2029-भू-राजस्व	4.24	4.24	100.00	वेतन पर व्यय
2075-विविध सामान्य सेवाएं	1.15	1.00	86.96	एमएच- 8121-117-प्रत्याभूति मोचन निधि के अंतर्गत ञ-आरक्षित निधि को हस्तांतरित राशि।
2211-परिवार कल्याण	212.33	116.31	54.78	परिवार कल्याण योजनाओं पर व्यय
2250-अन्य समाज सेवाएं	3.05	1.71	56.07	विभिन्न योजनाओं पर व्यय
3452-पर्यटन	135.03	68.93	51.05	विभिन्न विकास प्राधिकरणों पर व्यय
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	7.37	7.37	100.00	वेतन पर व्यय
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	70.46	70.46	100.00	व्यय मुख्यतः निर्माण कार्यों पर है
4225- एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	31.28	30.94	98.91	व्यय मुख्यतः निर्माण कार्यों पर है।

अनुलग्नक-ग-(समाप्त)

लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय का परिचालन

(संदर्भ: पैराग्राफ 2 (iv); पृष्ठ 63-64)

मुख्य शीर्ष	**लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय सहित कुल व्यय**	**लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय**	**मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय हेतु लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय का प्रतिशत**	**व्यय की प्रकृति**
	(₹ करोड़ में)			
4236-पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	16.45	16.45	100.00	व्यय मुख्यतः निर्माण कार्यों पर है।
4405-मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	34.70	34.70	100.00	व्यय मुख्यतः निर्माण कार्यों पर है।
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	133.56	116.18	86.99	व्यय मुख्यतः निर्माण कार्यों पर है।
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	2,022.86	1,497.41	74.02	व्यय मुख्यतः निर्माण कार्यों पर है।
5425-अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	24.23	23.24	95.91	व्यय मुख्यतः निर्माण कार्यों पर है।
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	76.57	76.57	100.00	व्यय मुख्यतः निर्माण कार्यों पर है।
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	846.68	748.03	88.35	व्यय मुख्यतः निर्माण कार्यों पर है।

अनुलग्नक-घ

लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियों का परिचालन

(संदर्भ: पैराग्राफ 2 (iv); पृष्ठ 63-64)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों सहित कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों हेतु लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों का प्रतिशत	प्राप्ति की प्रकृति
	(₹ करोड़ में)			
0049-ब्याज प्राप्ति	17.86	17.76	99.44	एसडीएल पर भुगतान योग्य ब्याज पर दी गयी छूट और अन्य अभिकरणों द्वारा प्रदत्त ब्याज के कारण प्राप्ति
0059-लोक निर्माण	25.49	19.18	75.25	अतिथि गृहों से प्राप्तियाँ
0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	19.15	13.01	67.94	सरकारी आवासों, एमएलए आवासों में खान-पान से प्राप्ति
0235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3.47	3.47	100.00	पंजीकरण शुल्क प्राप्तियाँ
0408-खाद्य संग्रहण और भण्डारण	7.55	7.55	100.00	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण के कारण संग्रहित प्राप्तियाँ
0701-मध्यम सिंचाई	996.66	996.66	100	सरकार द्वारा प्राप्त जल उपभोग प्रभार
0702-लघु सिंचाई	9.42	8.65	91.83	विविध प्राप्तियाँ
0801-विद्युत	2,349.74	2,349.74	100.00	विद्युत की बिक्री
0853-अलौह खनन और धात्विक उद्योग	227.91	158.97	69.75	अन्य विविध प्राप्तियाँ

अनुलग्नक-ङ

उच्चतम लंबन वाले विभागों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का अवधि विश्लेषण

(संदर्भ: पैराग्राफ 2 (vii); पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**विभाग का नाम**	**अवधि**	**राशि**
1.	शिक्षा विभाग	3 वर्ष और अधिक	2,868.97
		2 वर्ष	626.45
		1 वर्ष	2,255.31
		कुल-शिक्षा विभाग	**5,750.73**
2.	चिकित्सा विभाग	3 वर्ष और अधिक	258.95
		2 वर्ष	375.74
		1 वर्ष	408.65
		कुल- चिकित्सा विभाग	**1,043.34**
3.	कृषि विभाग	3 वर्ष और अधिक	848.75
		2 वर्ष	5.25
		1 वर्ष	130.00
		कुल-कृषि विभाग	**984.00**
4.	ग्रामीण विकास विभाग	3 वर्ष और अधिक	42.91
		2 वर्ष	67.99
		1 वर्ष	564.91
		कुल-ग्रामीण विकास विभाग	**675.81**

अनुलग्नक-च

निवेश में अंतर का विवरण

(संदर्भ: पैराग्राफ 2 (x) (क); पृष्ठ 67)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अधिष्ठान का नाम	विवरण सं. 16 के अनुसार राशि	विवरण सं. 19 के अनुसार राशि	अंतर	अभ्युक्तियाँ
1.	जेएण्डके एससी/ एसटी/ बीसी विकास निगम लिमिटेड	शून्य	1.20	(-)1.20	इस प्रकार की कोई राशि सरकार द्वारा निवेश के रूप में बुक नहीं की गयी है।
2.	जेएण्डके महिला विकास निगम लिमिटेड	2.21	शून्य	(+)2.21	निगम ने ₹ 2.21 करोड़ अनुदान के रूप में दर्शाये हैं।
3.	जेएण्डके, एसआईसीओपी लिमिटेड	2.00	शून्य	(+)2.00	निगम ने ₹ 2.00 करोड़ अनुदान के रूप में दर्शाये हैं।
4.	जेएण्डके, एसआईडीसीओ लिमिटेड	3.40	शून्य	(+)3.40	निगम ने ₹ 3.40 करोड़ अनुदान के रूप में दर्शाये हैं।
5.	भू-विज्ञान एवं खनन	0.82	शून्य	(+)0.82	निगम ने निवेश के रूप में कोई राशि नहीं दर्शायी है।
6.	जेएण्डके खनिज लिमिटेड	1.40	शून्य	(+)1.40	निगम ने निवेश के रूप में कोई राशि नहीं दर्शायी है।
7.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	शून्य	0.80	(-)0.80	इस प्रकार की कोई राशि सरकार द्वारा निवेश के रूप में बुक नहीं की गयी है।
8.	जेएण्डके सहकारी/ कृषि एवं ग्रामीण बैंक	8.15	शून्य	(+)8.15	यद्यपि सरकार ने लघु शीर्ष 190- निवेश के अंतर्गत राशि बुक की है, परंतु निगम ने उक्त राशि को निवेश के रूप में नहीं दर्शाया है।
	कुल	**17.98**	**2.00**	**(+)15.98**	

अनुलग्नक-छ

निवेश में अंतर का विवरण

(संदर्भ: पैराग्राफ 2 (x) (ख); पृष्ठ 67)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**अधिष्ठान का नाम**	**पूर्व दर्शायी गयी राशि**	**अब दर्शायी गयी राशि**	**अंतर**
1.	चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	प्रतीक्षित	1,187.85	1,187.85
2.	जम्मू स्मार्ट सिटी	प्रतीक्षित	0.10	0.10
3.	श्रीनगर स्मार्ट सिटी	प्रतीक्षित	0.10	0.10
4.	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम	प्रतीक्षित	0.02	0.02
5.	भू-विज्ञान एवं खनन	प्रतीक्षित		
6.	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास निगम	प्रतीक्षित	0.50	0.50
7.	जम्मू एवं कश्मीर आईटी अवसंरचना विकास निगम जम्मू	प्रतीक्षित	0.50	0.50
8.	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	प्रतीक्षित	0.05	0.05
	कुल	**शून्य**	**1,189.12**	**1,189.12**

अनुलग्नक-ज

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) जिन्होंने वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण और सहायता अनुदान प्राप्त किये हैं, परंतु अपने लेखाओं को संवृत नहीं किया है

(संदर्भ: पैराग्राफ 2 (xi); पृष्ठ 68)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष 2020-21के दौरान दिये गये ऋण	वर्ष 2020-21के दौरान दिये गये अनुदान	अभ्युक्तियाँ
		(₹ करोड़ में)		
1.	जेएण्डके, राज्य सड़क परिवहन निगम	32.50	-	निगम ने इसके केवल 2013-14 तक के लेखाओं को संवृत किया है।
2.	जेएण्डके, एससी/ एसटी/ बीसी निगम लिमिटेड	7.90	-	निगम ने इसके केवल 2017-18 तक के लेखाओं को संवृत किया है।
3.	जेएण्डके, विद्युत निगम लिमिटेड	-	2,759.98	निगम ने लेखापरीक्षा (अगस्त 2021)हेतु सीएण्डएजी को इसके लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।
4.	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	-	28.80	बोर्ड सीएण्डएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है।
5.	जेएण्डके, महिला विकास निगम लिमिटेड	3.00		निगम ने इसके केवल 2019-20 तक के लेखाओं को संवृत किया है।
6.	जेएण्डके, सीमेन्ट्स लिमिटेड	5.00		निगम ने इसके केवल 2011-12 तक के लेखाओं को संवृत किया है।
7.	जेएण्डके, राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड	2.19		निगम ने इसके केवल 2018-19 तक के लेखाओं को संवृत किया है।
8.	जेएण्डके, हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2.30		निगम ने इसके केवल 2018-19 तक के लेखाओं को संवृत किया है।
9.	जेएण्डके, हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) निगंम लिमिटेड	1.75		निगम ने इसके केवल 2013-14 तक के लेखाओं को संवृत किया है।
10.	जेएण्डके, उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	3.00		निगम ने इसके केवल 2010-11 तक के लेखाओं को संवृत किया है।
11.	जेएण्डके, पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	4.00		निगम ने इसके केवल 2019-20 तक के लेखाओं को संवृत किया है।

अनुलग्नक-झ

पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय

(संदर्भ: पैराग्राफ 2 (xiii); पृष्ठ 68)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया व्यय	बजट प्रावधान	बजट प्रावधान हेतु व्यय का प्रतिशत
		(₹ करोड़ में)		
01	2406-वानिकी और वन्य जीवन	41.88	56.81	73.72
02	3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	41.93	63.07	66.48
	कुल	**83.81**	**119.88**	**69.91**

अनुलग्नक-ञ

पाँच वर्ष और अधिक अवधि वाली अपूर्ण परियोजनाएं/ योजनाएं

(संदर्भ: 2 (xv); पृष्ठ 69)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**परियोजना/ योजना का नाम**	**आरंभ की तिथि**	**समापन का लक्ष्य वर्ष**	**मूल लागत**	**परिशोधित लागत**	**लागत में वृद्धि**
जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू						
1.	**जलापूर्ति योजना कठर**	2013-14	2019-20	1.61	1.75	0.14
2.	**जलापूर्ति योजना, नजला चैक**	2012-13	2018-19	1.88	2.01	0.13
3.	**जलापूर्ति योजना भूमकुलियां**	2010-11	2018-19	1.98	2.27	0.29
4.	**जलापूर्ति योजना साजवलखारह**	2013-14	2019-20	1.61	1.83	0.22
5.	**जलापूर्ति योजना पूरन नगर/ कबीर नगर**	2012-13	2017-18	2.00	2.48	0.48
6.	**जलापूर्ति योजना करण बाग**	2007-08	2012-13	1.57	3.62	2.05

अनुलग्नक-ट

उचंत और प्रेषणों के अंतर्गत शेष

(संदर्भ: पैराग्राफ 4(iii); पृष्ठ 76-77)

लघु शीर्ष	**वर्ष 2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**			**वर्ष 2020-21**		
	डे.	**क्रे.**	**निवल (डे./ क्रे.)**	**डे.**	**क्रे.**	**निवल (डे./ क्रे.)**
						(₹ करोड़ में)
8658-उचंत लेखा-						
101-पीएओ उचंत	14.70	0.24	**14.46 (डे.)**	56.67	0.01	**56.66 (डे.)**
102-उचंत लेखा (सिविल)	5.51	2.26	**3.25 (डे.)**	47.97	2.44	**45.53 (डे.)**
109-आरबीआई उचंत (मुख्यालय)	0.15	0.05	**0.10 (डे.)**	0.16	0.05	**0.11 (डे.)**
110- आरबीआई उचंत (केन्द्रीय लेखे)	0.33	0.42	**0.09 (क्रे.)**	0.91	0.08	**0.83 (डे.)**
112-उचंत स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती	-	221.91	**221.91 (क्रे.)**	-	221.00	**221.00 (क्रे.)**
139-जीएसटी- उचंत स्रोत पर कर कटौती	1.32	0.99	**0.33 (डे.)**	1.02	5.15	**4.13 (क्रे.)**
8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारियों को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और समायोजन-						
110-विविध प्रेषण	-	1,398.24	**1,398.24 (क्रे.)**	-	632.57	**632.57 (क्रे.)**
8793-अंतर्राज्यीय उचंत लेखा	0.10	0.17	**0.07 (क्रे.)**	-	1.93	**1.93 (क्रे.)**

अनुलग्नक-ठ

सरकार द्वारा दिये गये पिछले ऋण (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) जिनके प्रति संबंधित ऋणग्राही से कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था

(संदर्भ: पैराग्राफ 5 (ग); पृष्ठ 79)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**विभाग**	**ऋणग्राही**	**ऋणों की संख्या**	**राशि**
1.	जेएण्डके, परिवहन विभाग	जेएण्डके, राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड	6	26.00
2.	जेएण्डके, समाज कल्याण विभाग	एसी/ एसटी/ बीसी निगम लिमिटेड	3	4.74
3.	जेएण्डके, उद्योग विभाग	जेएण्डके, हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2	1.15
4.	जेएण्डके उद्यान कृषि विभाग	जेएण्डके, उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	1	1.50
5.	जेएण्डके, उद्योग विभाग	जेएण्डके, हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) निगम लिमिटेड	1	0.75
6.	जेएण्डके, समाज कल्याण विभाग	जेएण्डके, महिला विकास निगम लिमिटेड	2	1.50
7.	जेएण्डके, उद्योग विभाग	जेएण्डके, सीमेन्ट लिमिटेड	1	2.50

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2021
www.cag.gov.in

http://www.agjk.nic.in